वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा
2017-18

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
(एमसीएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

‘कंपनी का दृष्टिकोण’“देश के लिए ऊर्जा, सुरक्षा एवं स्थायी विकास के साथ अपने एवं पार्श्ववर्ती इलाके का विकास करना तथा बाधाओं को अवसरो में बदलना”

‘कंपनी का लक्ष्य’“नवप्रर्वतनकारी एवं पर्यावरण हितैषी प्रद्यौगिकी के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर भरोसेमंद ऊर्जा का उत्पादन करना, उपलब्ध करना तथा समाज विकास में योगदान करना है ।”

विषय सूची

क्र .	विषय
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा निरीक्षक
2.	सूचना
3.	निदेशकों का प्रतिवेदन
4.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन व प्रबंधक का उत्तर
5.	भारत के नियंत्रक व महालेखाकार की टिप्पणी
6.	31 मार्च,2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
7.	31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण
8.	तुलन पत्र एवं लाभ-हानि के विवरण के भाग पर टिप्पणी
9.	नगदी प्रवाह विवरणी

वर्तमान प्रबंधन

(13.07.2018 के अनुसार**)**

अध्यक्ष	श्री एल एन मिश्रा
निदेशक	श्री जे पी सिंह
निदेशक	श्री ओ पी सिंह
निदेशक	श्री के आर वासुदेवन

वर्ष **2017-18** के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष	श्री एल एन मिश्रा
निदेशक	श्री जे पी सिंह
निदेशक	श्री के के परिड़ा(30.06.2017 तक)
निदेशक	श्री ओ पी सिंह
निदेशक	श्री के आर वासुदेवन (12.02.2018 से)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सांविधिक लेखापरीक्षक

दास एंड दास,

चार्टड अकाउंटेन,

भुवनेश्वर -751006

पंजीकृत कार्यालय का पता**:**

प्लॉट संख्या जी**-3,** गड़ाकना**,**चंद्रसेखरपुर भुवनेश्वर**-751017 (**ओड़िशा**).**

<u>सूचना</u>

<u>8 वीं वार्षिक सामान्य बैठक</u>

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की 8 वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार 13 जुलाई, 2018 को सुबह 9.30 बजे एमसीएल कार्यालय, प्लॉट नं.- जी-3 मंचेश्वर रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर, ओड़ीशा-751017 में निम्नलिखित कार्यों के प्रबंधन के लिए आयोजित की जाएगी।

<u>सामान्य कार्य :</u>

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखापरीक्षित लेखों खातों को प्राप्त करने, विचार करने और उन्हें अपनाने के लिए लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट।
2. वित्तीय वर्ष, 2017-18 के लिए

   "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) और (2) तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, के संकल्प के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा के साथ प्रधान लेखा परीक्षक मैसर्स दास एंड दास, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, भुवनेश्वर को मंडल द्वारा निर्धारित टी.ए. एवं अन्य खर्च का पारिश्रमिक और प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए स्वीकृति दी जाती है।"

महानदी बेसिन पावर के लिए
निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह/-

(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव, एमसीएल

स्थान: संबलपुर
तिथि: 15.06.2018

<u>पंजीकृत कार्यालय:</u>

प्लॉट नं.- जी-3 मंचेश्वर रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर, ओड़ीशा-751017

टिप्पणी:

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है तथा और ऐसा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए । बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने वाले कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने और बैठक में उनकी ओर से मतदान करने के लिए प्राधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति भेजें।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि आवश्यकता होने पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के प्रावधानों के अनुसार लघु सूचना पर वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दे।

निदेशकों का प्रतिवेदन

शेयरधारक,
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

मान्यवर,

मुझे, निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी का 7वां प्रतिवेदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सहित 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है। आपकी कंपनी महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एक-एसपीवी) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) को 02.12.2011 की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। एसपीवी का निगमन महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के रूप में हुआ है जिस का पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या – जी-3 गड़ाकना, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर -751017 (ओड़िशा) में है और कंपनी पंजीयक कटक ने व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दिनांक 06.02.2012 को जारी किया।
कंपनी सुंदरगढ़ में 2X800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना प्रचालित और विकसित अनुरक्षित करने के लिए एमसीएल की और से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी,यह ईपीसी के आधार पर होगा

वित्तीय प्रदर्शन :-

विवरण	**2017-18 (रु में)**	**2016-17 (रु में)**
वर्ष के लिये आय	0	0
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अलावा वर्ष के लिए व्यय	125622.30	146660.00
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय से पूर्व लाभ एवं हानि	**(125622.30)**	**(146660.00)**
कम मूल्य और परिशोधन व्यय	0	0
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के पश्चात लाभ एवं हानि, कर से पहले।	**(125622.30)**	**(146660.00)**
न्यून वर्तमान कर	0	0
कर के पश्चात लाभ एवं हानि	**(125622.30)**	**(146660.00)**

कंपनी निर्माण के चरण में है एवं परिचालन गतिविधियाँ अभी तक शुरू नहीं किया गया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना के कारण कंपनी के सभी व्यय पूंजीकृत किया एवं अन्य अप्रत्यक्ष व्यय" लाभ एवं हानि विवरण" में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने रु 21,26,75,776.42 असुरक्षित दीर्घकालीन ऋण के तौर पर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) से लिया है।

कंपनी के वित्तीय विवरण के अंतर्गत भारत में (भारतीय जीएएपी) आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3 सी) (जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7, कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 133 के संबंध में लागू रहेगा) अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुपालन हेतु और कंपनी अधिनियम 1956 /कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधनों जो भी लागू हो एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी" "SEBI") द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि शुरू में अपनाया गया या मौजूदा मानक लेखांकन

के संशोधन के लिए लेखांकन नीति के अब तक के उपयोग में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो जारी किए गए नए लेखांकन मानक को छोड़कर लेखांकन नीतियों को सतत लागू किया गया है। प्रबंधन ने हाल ही में चलित आधार पर जारी किए गए या संशोधित किए मानक लेखांकन का मूल्यांकन किया है। कंपनी ने त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर स्टैंडअलोन लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम की घोषणा की है।

लाभांश: -

वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार का लाभांश घोषित नहीं किया है।

रिजर्व: -

कंपनी ने भंडार में किसी भी प्रकार के राशि का हस्तांतरण नहीं किया है।

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एसपीवी) की भूमिका इस प्रकार हैः

क. स्थल का चिन्हिकरण
ख. भूमि का अधिग्रहण
ग. जल संबद्धता, ईंधन संबद्धता आदि प्राप्त करना
घ. विभिन्न तकनीकी अध्ययन करना और परियोजना सूचना रिपोर्ट तैयार करना
ङ. सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करना अर्थात पर्यावरणीय, वन, रक्षा, विमानन आदि
च. एमसीएल/एमबीपीएल के बिजली संयंत्र की विशिष्टता के लिए तैयारी, खुली निविदा के माध्यम से उपयुक्त ईपीसी (EPC) ठेकेदार की चयन, पूर्व संविदा सेवा, पोस्ट संविदा सेवा, परियोजना निगरानी सेवा संयंत्र नियंत्रण सेवा, ओ एंड एस दस्तावेजों की समीक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, परीक्षण, सेवा और साइट इंजीनियरों की पोस्टिंग और बिजली संयंत्र के लिए बची हुई जरूरी नौकरियों के लिए सेवा प्रदान करने हेतु कोंसल्टेंसी एवं इंजीनियर का चयन।

कंपनी की गतिविधियां - वर्तमान स्थिति:

भूमि:

एमसीएल द्वारा भूमि कोयला धारित क्षेत्र अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। दिनांक-12.07.2016 को निम्न शर्तों एवं निबंधन के आधार पर 50 वर्ष की अवधि के लिए एमबीपीएल के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के उद्देश्य के लिए टिकियापारा, सर्डेगा तथा गोपालपुर गाँव के एक भाग पर एमबी पीएल के लिए एमसीएल द्वारा अधिगृहीत 858.60 एकड़ भूमि के पट्टे के लिए एमसीएल ने "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रदान किया है।

i) यह पट्टे पर उपरोक्त भूमि के लिए एमबीपीएल के अधिकार को शामिल नहीं करेगा। न ही इसे एमबीपीएल को विमुख करने का या अपनी इच्छा से उसका निपटान करने का हक होगा, इसलिए, एमबीपीएल ऐसे किसी बाधा का सृजन नहीं करेगा जो भूमि के अलगाव या निपटान के समान हो।

ii) इस पट्टे में किसी भी पहलू से उत्पन्न होने वाले मामले या विवाद की स्थिति में इसे एमसीएल को विचारार्थ भेजा जाएगा और इस मामले में उसका निर्णय एमबीपीएल के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

iii) यह अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि एमबीपीएल कंपनी अधिनियम में पारिभाषित रूप में एक सरकारी कंपनी बनी रहेगी, यह अनुमति तब समाप्त हो जाएगी, जब एमबीपीएल एक "गैर सरकारी कंपनी" बन जाए। इस आशय का एक खंड पट्टा-समझौते में शामिल किया जाएगा।

भूमि लीज़ के लिए एमओयू प्रस्ताव का मसौदा एमसीएल को जमा कर दिया गया है। लीसिंग करार की औपचारिकताएँ एक समिति द्वारा एमसीएल मुख्यालय में की जा रही है।

वन भूमि परिवर्तन:

वन भूमि परिवर्तन का प्रस्ताव पीसीसीएफ कार्यालय को 22.04.2013 को प्रस्तुत किया गया। एमबीपीएल से 07.06.2013 को राज्य क्रम संख्या 595/13 प्राप्त हो गया। वन का 100% भूमि सीमांकन एवं वृक्ष गणना का काम मेसर्स पीएफ़सीसी लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया। सुंदरगढ़ कलेक्टर को गोपालपुर, सरडेगा एवं टिकिलीपरा गाँव में पल्ली सभा आयोजित करने हेतु पत्र भेजे गए है। स्तंभ पोस्टिंग का कार्य पूरा हो गया है डीजीपीएस सर्वेक्षण के प्रभावीकरण के लिए ओआरएसएसी को डीजीपीएस की और से दिनांक 30.05.2016 को आवश्यक शुल्क जमा किया गया। ओआरएसएसी टीम पिल्लर्स के अधूरे/गायब होने, व्यस्त संयंत्र के लिए क्षेत्र की पहचान और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण सर्वेक्षण कार्य को नहीं कर सकें। ओआरएसएसी की इच्छानुसार मिसींग पिल्लर्स की पोस्टिंग संख्या के साथ पूर्ण कर ली गई है। ओआरएसएसी द्वारा सूचना के अनुसार डीजीपीएस सर्वेक्षण कार्य अप्रैल, 2018 के अंत तक पूरा हो जाएगा। ओआरएसएसी से डीजीपीएस मानचित्र के प्रमाणीकरण की प्राप्ति के बाद वन निकासी के लिए वन भूमि परिवर्तन का प्रस्ताव वन विभाग, ओडिशा सरकार की वेबसाइट पर अपलोड होगा।

आईपीआईसीओएल से एकल खिड़की अनुमतियां:

आईपीआईसीओएल को दिसंबर, 2011 में आवेदन दिया गया। आईपीआईसीओएल ने आवेदन ओड़िशा सरकार के जरिए भेजने की सलाह दी। ओड़िशा सरकार ने अप्रैल 2012 में आवेदन स्वीकार करने के लिए आईपीआईसीओएल को निर्देश दिए। आवेदन मई 2012 में आईपीआईसीओएल को प्रस्तुत किया गया। रुपए 1000 की आवश्यक फीस और 50 क्यूसेक जल आबंटन हेतु प्रपत्र "जे" सहित रुपए 75,00,000/- की राशि का प्रतिभूति जमा 19.02.2013 को जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत किया गया है। जल संसाधन विभाग ने 50 क्यूसेक जल आबंटन की अनुशंसा की। राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी, उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकार ओड़िशा सरकार ने दिनांक 29.09.2015 में 16 वीं बैठक में सैद्धांतिक रूप से परियोजना को मंजूरी दी है, इस के अलावा ओड़िशा सरकार के जल आवंटन समिति में दिनांक 25.02.2015 को आयोजित 61 वीं बैठक में जनसंपर्क के लिए दिनांक 24.11.2015 में निजी सचिव (डबल्यूआरडी) को एमबीपीएल के प्रस्तावित टीटीपी को हीराकुद जलाशय से 49 क्यूसेक जल के आवंटन हेतु सिफारिस की गई है। दिनांक 13.01.2016 को आयोजित एसएलएसडबल्यूसीए के 59 वीं बैठक में आईपीआईसीओएल ने एमबीपीएल, एमसीएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के 2 X 800 मेगावाट की बिजली परियोजना के अनुमोदन की पृष्टि दर्शाते हुए संप्रेषित किया है जिस से राज्य सरकार को पूरी लागत पर बिजली का 50% मिलेगा।

पर्यावरणीय अनुमति:

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओड़िशा को जन सुनवाई करने हेतु 14.02.2013 को वांछित शुल्क सहित रेपिड ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबंधित जिला व पंचायत प्राधिकरणों के सहचर्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा टिकिलीपड़ा, सुंदरगढ़ जिला में जगन्नाथ मंदिर में 27.11.2013 को जनसुनवाई आयोजित हुई। सभी दस्तावेजों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। एमबीपीएल मामले की सुनवाई (i) कोल लिंकेज (ii) जल लिंकेज (iii) फ्लाईएश के उपयोग की योजना के मिलने के वाद होगी। सदस्य सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कोयला संबद्धता एवं जल आवंटन फर्म की प्राप्ति के पश्चात दिनांक 08.10.2017 पर चुनाव आयोग के अनुदान के विचार के लिए आगामी ईएसी में सुनवाई हेतु परियोजना सूची में प्रविष्ट करने के लिए अनुरोध किया है।

ईंधन संबद्धता:

एमसीएल ने विद्युत परियोजना हेतु कोयले की संबद्धता आबंटन के लिए कोयला मंत्रालय को 23 नवंबर, 2011 को पत्र लिखा। एमसीएल ने पुनः 14 मई, 2012 और 22.09.2012 को अनुरोध किया। एसएलसी एमओसी विशेष छुट मार्ग एमओसी के माध्यम से प्रस्तावित एसटीपीपी के लिए 9.0 एमटीपीई का कोयला आवंटन हेतु सिपरिश की है एवं सभी औपचारिकताओं के अवलोकन के बाद कोयला लिंकेज आवंटन के लिए आवेदन करने की सलाह दी है। एमसीएल ने दिनांक 03.04.2015 को कोयला लिंकेज के जारी करने हेतु पुष्टि पत्र के लिए एमओसी के अतिरिक्त सचिव से अनुरोध किया है। जैसी वंछित केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय को कोल लिंकेज के लिए नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत किया गया दिनांक 01.11.2015 को एमबीपीएल के परियोजना साइट का सीईए टीम ने दौरा किया। वांछित रूप में आवश्यक सूचना युक्त दस्तावेजों को सीईए को दिनांक-04.02.2016 को जमा किया गया। सीईए ने कोल लिंकेज पर विचारार्थ मामले को दिनांक 11.03.2016 के पास सिफारिश की। जांच के पश्चात, एमओपी द्वारा स्पष्टीकरण किया गया तथा उसे दिनांक 13.05.2016 को प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार द्वारा नई कोयला संबद्धता नीति को अपनाए जाने के पश्चात, मुख्य विद्युत प्राधिकारी (सीईए), नई दिल्ली की सलाह पर दिनांक 27.05.2017 को सीईए के माध्यम से ऊर्जा मंत्रालय को नया आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

स्थायी लिंकेज कमेटी (एसएलसी), कोयला मंत्रालय ने दिनांक 29.06.2017 की अपनी बैठक में एमसीएल के एमबीपीएल को कोयला लिंकेज जारी करने के लिए सीआईएल को अनुशंसा की है इस संबंध में पत्र संख्या: 23014/3/2017-CLD दिनांक 17/07/2017 का अवलोकन करें। 25.08.2017 की सीएलओए बैठक के दौरान एसएलसी की सिफारिश के अनुसार कोल इंडिया द्वारा फर्म कोयला आवंटन दिया गया है। सीएलओए ने सिफारिश दी है कि आवश्यक वाणिज्यिक औपचारिकताओं को देखने के बाद एमसीएल के एमबीपीएल के संयंत्र को एलओए जारी किया जा सके।

कोयला परिवहन अध्ययन:

प्राथमिक जांच के आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट जून, 2012 में एमसीएल को प्रस्तुत की गई। कोयले का परिवहन लगभग 8-10 किलोमीटर की पाईप कन्वेयर के जरिए परिवहन का प्रस्ताव है।

नगर विमानन (चिमनी ऊंचाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र):

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ऊंचाई निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदित किया गया तथा उसे दिनांक- 30.05.2016 को जारी किया गया।

रक्षा (चिमनी ऊंचाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र):

रक्षा मंत्रालय से हाईट क्लीयरेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदित किया गया तथा उसे दिनांक-12.06.2017 को जारी किया गया।

सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी- आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और जिसके पास कोई भइयो सहायक/ संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

सावधि जमा:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से किसी भी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है।

जोखिम प्रबंधन:

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण को महत्व देते हुए पारंपरिक, आंतरिक एवं बाहरी जोखिमों पर आवशक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किए जाते हैं। भू अधिग्रहण, वन अनुमति, पर्यावरण संबंधी समस्याएँ कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिन पर प्रबंधन द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है।

सतर्कता तंत्र/ व्हिसल ब्लोवर नीति:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की गतिविधियां सी एंड एजी, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुले हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर लागू नहीं है।

पूंजी संरचना:

दिनांक 31.03.2018 में कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी पर 5 लाख के इक्विटी शेयर को 50,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित कर प्रत्येक का 10 रूपए का इक्विटी शेयर रहेगा। 31.3.2018 को कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 5,00,000 रुपये पर छूट दी गई है। दिनांक 31.03.2018 को कंपनी के चुकता किए गए इक्विटी शेयर पूंजी 5 लाख रु. पर अप्रभावी रहेगा। संपूर्ण इक्विटी शेयर कैपिटल महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और इसके नामांकित कंपनियों द्वारा आयोजित कीए जाते है।

संगठनात्मक संरचनाः-

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुसार एस.पी.वी में एसोसिएशन ज्ञापन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के 7 अंशदाता है एवं एसपीवी बोर्ड में एमसीएल के सी.एम.डी द्वारा 3 निदेशक चयनित है, एस.पी.वी. बोर्ड ने पर्यवेक्षक को नियंत्रण में एस.पी.वी के दैनिक गतिविधियों के निष्पादन हेतु एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तैनाती भी की गई है।

कार्यात्मक सहायता:

कंपनी को एसपीवी की स्थापना और सुचारु रूप से कारी- संचालन के लिए सभी का सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें सुसज्जित कार्यालय स्थल सहित टेलीफोन,फ़ैक्स,कम्प्युटर, वाहन एवं एसपीवी के दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक अन्य प्रशासनिक सुविधाएं शामिल है। प्रशासनिक एवं कर्मचारी सहायता सहित एसपीवी के पृथक लेखा शीर्ष में दी गई लागत का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें एसपीवी में एमसीएल द्वारा इक्विटी में योगदान हेतु ब्याज का गठन किया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन तथा व्यय:

कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की गई है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा तकनीकी का अधिग्रहण नही किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आयात तथा निर्यात से संबन्धित गतिविधियां नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की विदेशी मुद्रा का व्यय तथा विदेशी मुद्रा का आय नहीं किया गया।

निदेशक मण्डल:

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के निदेशक मण्डल में निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक नामित किया गया है:

1.	श्री एल.एन.मिश्रा	निदेशक (कार्मिक), एमसीएल	(31.01.2016 से)
2.	श्री जे.पी. सिंह	निदेशक (तकनीकी/प्रचालन), एमसीएल	(07.01.2014 से)
3.	श्री ओ.पी. सिंह	निदेशक (तकनीकी/परियो.एवं यो), एमसीएल	(30.06.2017 से)
4.	श्री के.आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त), एमसीएल	(12.02.2018 से)

निदेशक मण्डल की बैठक की संख्या:

क्र.	**विवरण**	**दिनांक**	**बैठक का स्थान**
1	27वीं बोर्ड बैठक	12.05.2017	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
2	28वीं बोर्ड बैठक	22.07.2017	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
3	29वीं बोर्ड बैठक	29.10.2017	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
4	30वीं बोर्ड बैठक	31.01.2018	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर

बोर्ड संरचना का ब्यौरा, निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थितियाँ:

निदेशकों का नाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक	
		कार्यकाल के दौरान	उपस्थिति
श्री एल.एन. मिश्रा	नॉन-एक्जेक्यूटिव	04	04
श्री जे.पी. सिंह	नॉन-एक्जेक्यूटिव	04	04
श्री के.के. परिडा	नॉन-एक्जेक्यूटिव	01	01
श्री ओ.पी. सिंह	नॉन-एक्जेक्यूटिव	02	02
श्री के.आर .वासुदेवन	नॉन-एक्जेक्यूटिव	01	01

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा-186 के अंतर्गत ऋण, प्रत्याभूति या निवेश:

वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण, प्रतिभूति या निवेश नहीं किया है।

कंपनी अधिनियम,2013 के धारा-188 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों के साथ संविदा विवरण एवं व्यवस्था:

वर्ष के दौरान कंपनी का किसी भी संबन्धित पार्टियों के साथ कोई भी अनुबंध या करार नहीं हुआ है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :-

प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर यह पुष्टि की जाती है की आपकी कंपनी के निदेशक गण द्वारा कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा-134(3) (सी) के तहत निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है :

क. 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति में सामग्रियों के प्रस्थान संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा के मानकों (लेखों पर नोट के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण नियम सहित आकलन किया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही जानकारी दी जा सके।

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं आय अनियमितताओं का पता लगाने,निवारण हेतु कंपनी आधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रेकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. वित्तीय वर्ष समाप्त 2016-17 के लिए क्रियाशील कारोबार के आधार पर लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

ङ. उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कार्य कर रहे है एवं वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी रूप से संचालित है।

च. सभी उचित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, निदेशकों ने उचित प्रणाली तैयार किया है

सांविधिक लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के सी एंड एजी,नई दिल्ली के द्वारा मेसर्स दास एंड दास, चार्टड अकाउंटेंट्स (एसपीओ 205) 22 मेट्रो कॉटेज, प्रथम तल, चिंतामनेश्वर मंदिर लेन, कटक रोड, भुवनेश्वर को वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षक प्रतिवेदन:

वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के तहत वित्तीय विवरण मेसर्स महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर प्रबंधन द्वारा दिया गया जवाब यदि कोई हो तो, योग्यता,आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या परीक्षकों द्वारा अस्वीकृत प्रतिवेदन अनुलग्नक में शामिल की गई है।

सी एंड ए.जी. टिप्पणियाँ :-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी जो कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त हुई है, में महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर की गई टिप्पणियों को भी संलग्नित किया गया है।

आभार-

क. आपके निदेशकगण, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का उनके मूल्यवान सहायता समर्थन और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और ओड़िशा की राज्य सरकार का भी उनके मूल्यवान समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

ख. लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक और कंपनी पंजीयक ओड़िशा के अधिकारियों ओर कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की प्रशंसा करते हैं।

ग. निदेशक, सुंदरगढ़ के विभिन्न महत्वपूर्ण नागरिकों और ओड़िशा के कोयलांचल के निवासियों का भी समय-समय पर उनके सहयोग के प्रति उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

परिशिष्ट :

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न है:-

1. कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।
2. धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी, कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए
3. वार्षिक प्रतिफल का उद्धरण।

हस्ता/-

(**एल.एन. मिश्रा**)

अध्यक्ष, **एमबीपीएल**

स्थान: **भुवनेश्वर**
दिनांक: 27.06.2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मेसर्स महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के सदस्य,

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ("कंपनी") के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2018 का तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन अधिनियमीय वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो कि अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक सहित, कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले तथा आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी के नकद प्रवाह का एक वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन, उचित और समझदार निर्णय और अनुमान बनाना और वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण से पूर्ण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वस्तु गलतबयानी से मुक्त लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन करने वाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।

हमने अधिनियम, प्रावधान और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों के प्रावधानों को ध्यान में रखा है, जिन्हें लेखापरीक्षा, अधिनियम के प्रावधानों के तहत रिपोर्ट और इसके तहत बनाए गए नियमों में शामिल करने की आवश्यकता है।

हमने अधिनियम के धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा का कार्य पूर्ण किया है। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय विवरण वस्तु गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं।

एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि

के कारण वित्तीय विवरणों के वस्तु गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है। उन जोखिम आकलन करने में, लेखा परीक्षक कंपनी के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानता है।

एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है। उन जोखिम आकलन करने में, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों की कंपनी की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, लेकिन इस पर कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है या नहीं, इस पर राय व्यक्त करने के लिए नहीं। एक लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उचितता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने का भी मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा मत के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

मत

हमारी राय में तथा सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:

(i) 31 मार्च 2018 तक कंपनी की स्थिति के तुलन पत्र के मामले में;

(ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि के, लाभ और हानि के बयान के मामले में; तथा

(iii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति में, नकद प्रवाह विवरण के मामले में।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 के उपधारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा आवश्यकतानुसार, हम अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक अनुलग्नक क पेश करते हैं।.

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और प्राप्त किया है, जो हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे।

(बी) हमारी राय में कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित किताबें कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जहां तक यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से दिखाई देती है;

(सी) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाया गया तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और नकद प्रवाह विवरण लेखा बही से सहमत है।

(डी) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक का अनुपालन करते हैं;

(ई) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में 31 मार्च 2018 को निदेशकों द्वारा प्राप्त लिखित प्रस्तावों के आधार पर, धारा 164 (2) के अनुसार 31 मार्च 2018 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई भी निदेशक अपात्र घोषित नहीं किया गया है ; तथा

(एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(जी) अन्य मामलों के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कंपनियों के (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार हमारी राय में और हमें दी गयी सर्वोत्तम जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई निकट भविष्य में वस्तु हानि थी।

iii.कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की कोई राशि नहीं थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सी एंड जी एजी के 143 (5) के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा के अनुसार रिपोर्टों को **"अनुलग्नक सी"** संलग्न किया गया है। ऐसी दिशाओं पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी प्रारंभिक चरण में है और इसका कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।.

कृते **दास एण्ड दास** की ओर से
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. : 322926E

राजेंद्र कुमार दास ,एफ़सीए
भागीदार
सदस्यता सं. : 057342

स्थान :भुवनेश्वर
दिनांक : 2 मई, 2018

परिशिष्ट –क

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को संदर्भित हमारी रिपोर्ट का अनुलग्नक। हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और निश्चित परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
2. (ख) कंपनी के पास अपनी निश्चित परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा चरणबद्ध तरीके से निश्चित संपत्तियां सत्यापित की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अनुसार।वर्ष के दौरान कुछ निश्चित संपत्तियों का सत्यापन किया गया था और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियों की सुचना नहीं मिली थी । हमारी राय में, कंपनी के विस्तार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित है।

(ग) अचल संपत्तियों के शीर्ष कार्यों को कंपनी के नाम पर रखा जाता है।

वर्ष के दौरान कंपनी की कोई वस्तु सूची नहीं है; इसलिए प्रबंधन द्वारा शारीरिक सत्यापन नहीं किया जाता है;

3. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, एलएलपी, अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (ए) से (सी) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और I86 के प्रावधानों का पालन किया है;
5. कंपनी ने जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनियों (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 के संबंध में जनता से स्वीकार की गई जमा राशि लागू नहीं है।
6. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी द्वारा किए गए गतिविधियों के संबंध में, अधिनियम के धारा 148 के उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड्स के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
7. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा खातों की परीक्षा के आधार पर, और अभिलेखों के अनुसार एमसीएल से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर कंपनी के पास कोई प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं है, भविष्य निधि बकाया की कटौती और जमा वर्ष के दौरान लागू नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने वर्ष के दौरान उत्पादन और बिक्री शुरू नहीं की है, सरकार को कोई सांविधिक देय नहीं है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2018 को उपर्युक्त के संबंध में कोई निर्विवाद देय राशि देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

   ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी भी विवाद के कारण आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क का कर्तव्य, उत्पाद शुल्क का कोई बकाया नहीं है।
8. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों को पुनर्भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है।

9. किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव या ऋण उपकरणों और सावधि ऋण सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

10. किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी या कंपनी द्वारा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है या इसकी रिपोर्ट नहीं की गई है।

11. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 को अनुसूची V के साथ पढ़ी गई धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं हैं।
12. हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 4 (xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

13. हमारी राय में, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में विवरणों का खुलासा किया गया है;

14. किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान समीक्षा में किसी भी अधिमान्य आवंटन या शेयरों की प्राइवेट नियुक्ति या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र तैयार नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

15. किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

16. हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, आदेश की धारा 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते दास एण्ड दास की ओर से
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. : 322926E

राजेंद्र कुमार दास ,एफ़सीए
भागीदार
सदस्यता सं. : 057342

स्थान :भुवनेश्वर
दिनांक : 2 मई, 2018

परिशिष्ट –ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ तक मैसर्स महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई ') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए कम्पनी का प्रबंधन जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रुपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन करना, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी का पता लगाना और त्रुटियां, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी यह ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानक, धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझा जाने वाले मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित गया है, और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं तो उसे बनाए रखा गया है।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल है। हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रुपरेखा और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर राय के आधार पर प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और भारतीय लेखा मानक (इंडेक्स एएस) समेत आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वें नीतियां और प्रक्रियाएं में शामिल हैं-(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित यह है कि, वह विस्तार से, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करता है; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर भारतीय लेखांकन मानक सहित आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन दर्ज किए जाते हैं और कंपनी की रसीदें और व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं तथा(3) कंपनी के परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की अनुचित या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड(अधिभावी) की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतफहमी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

मत -

हमारी राय में, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर सभी भौतिक मामलो में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2018 तक प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे।

कृते **दास एंड दास** के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322926ई

राजेन्द्र कुमार
दास, एफसीए

सांझेदार
सदस्यता सं: 057342

स्थान: **भुवनेश्वर**
दिनांक: **2 मई**, **2018**

परिशिष्ट – ग

कम्पनी का नाम : महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओड़िशा

वित्तीय वर्ष: 2017-18

कंपनी अधिनियम, 2013 के 143 (5) के के सी एंड एजी कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

क्र.सं.	निर्देश	वैधानिक लेखा परीक्षक का जवाब
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टा कार्य है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए शीर्षक / पट्टा कार्य उपलब्ध नहीं हैं?	जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी के पास वित्तीय विवरण में कोई भूमि और इमारत नहीं है इसलिए फ्रीहोल्ड और पट्टे के लिए स्पष्ट शीर्षक / लीज डीड क्रमशः लागू नहीं है।
2.	क्या ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि के छूट / लिखने के मामले हैं यदि हां, वहां के कारण और इसमें शामिल राशिएं हैं।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, लेखापरीक्षा के वर्ष के दौरान ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि का छूट नहीं था.
3.	चाहे सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त सम्पत्ति के साथ तृतीय पक्षों के वस्तुओं की सूची के उचित रिकॉर्ड को रखा जाए।	जब भी आवश्यक हो तीसरी पार्टी से जुड़े वस्तुओं की सूची का उचित रिकार्ड रखा जाये। जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी ने सरकार या अन्य अधिकारियों से कोई उपहार नहीं लिया है।
	स्थान: भुवनेश्वर **दिनांक: 2 मई, 2018**	**कृते** **दास एंड दास** **सनदी लेखाकार** **फर्म पंजीकरण सं.: 322926EE** **राजेंद्र कुमार दास, एफसीए** **भागीदार** **सदस्यता सं: 057342**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, भुवनेश्वर के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियॉ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन खाके के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड**,** भुवनेश्वर का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। 2 मई, 2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन करें जिसमे उनके द्वारा लेखा परीक्षा करने का उल्लेख किया गया है।

मैंने, भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के के अंतर्गत महानदी बेसिन पावर लिमिटेड**,** भुवनेश्वर के दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागजातों के आकलन के बिना और वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ चुने हुए लेखांकन रिकार्डों की परीक्षा के आधार पर की गई है। अनुपूरक के आधार पर, मैं इस अधिनियम के धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को जो मेरे दृष्टिकोण में वित्तीय विवरणी और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संवबंध में बेहतर समझ के लिए आवश्यक है उसे हाइलाइट करना चाहता/चाहती हूँ।

1. 31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन पत्र :

गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ:
पूंजीगत कार्य-प्रगति (टिप्पणी सं. -4): ₹. 20.01 करोड़
इक्विटी और देयताएं:
अन्य इक्विटी (टिप्पणी सं. 17): (-) ₹ 0.89 करोड़

पिछले वर्षों में उद्यम को अस्तित्व में लाने और पूंजीगत कार्य प्रगति में लाने के लिए प्रारंभिक खर्चों के गैर-चार्जिंग से संबंधित ₹ 5.01 करोड़ की अन्य इक्विटी का नीचे उल्लेख किया गया है। इसके परिणामस्वरूप उसी राशि से कार्य-प्रगति में वृद्धि हुई है।

2. <u>नकदी प्रवाह विवरण:</u>

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण निम्नलिखित के कारण कम है:

i) वर्ष (2017-18) की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष रुपये 62515.34 बदले ₹ 8492434.34 में दिखाया गया था। इसी प्रकार, पिछले वर्ष (2016-17) के अंत में नकद और नकद समकक्ष ₹ 62515.34 के बदले ₹ 8492434.34 के रूप में भी दिखाया गया था।

ii) कर और असाधारण मदों से पहले शुद्ध लाभ ₹ 125622.30 के बदले रुपये (-) ₹ 8555541.30 के रूप में दिखाया गया था।

iii) अन्य वित्तीय वर्तमान देनदारियां-(नोट -20) में रु। सहायक कंपनियों / होल्डिंग कंपनी (एमसीएल) के साथ मौजूदा खातों के लिए ₹ 212675776.42 शामिल है जिसे उधार लेने के रूप में दिखाया गया है (नोट -39) । इसलिए, अन्य वित्तीय वर्तमान देनदारियों (नोट -20) में शुल्क - ऑपरेटिंग गतिविधियों के बजाय वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत दिखाया जाना चाहिए था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान शुद्ध नकदी और नकद समकक्ष के रूप में दिखाया गया ₹ 7571535.72 गलत है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए यह नकद प्रवाह विवरण कंपनी की विभिन्न गतिविधियों से नकद प्रवाह की सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/-

(सुपर्णा देब)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक तथा
पूर्व पदाधिकारी सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड -1
कोलकाता

तुलनपतर

(₹ में)

	टिप्पणी संख्या	के अनुसार 31.03.2018	31.03.2017
परिसंपत्तियाँ			
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	701,406.34	809,148.34
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगतिपर	4	200,131,866.70	175,981,827.92
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	-	-
(घ) अन्य मूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	-	-
(ङ) विकाशाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ			
(च) निवेश सम्पत्ति			
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	7,501,000.00	7,501,000.00
(ज) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)			
(झ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	10	-	-
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		208,334,273.04	184,291,976.26
चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) वस्तुसूची	12	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपातियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	13	-	-
(iii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	14	920,898.62	62,515.34
(iv) अन्य बैंक बैलेन्स	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपातियाँ	9	-	-
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)			
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	490,694.00	410,100.00
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ(ख)		1,411,592.62	472,615.34
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**209,745,865.66**	**184,764,591.60**

तुलनपत्र

	टिप्पणी संख्या	के अनुसार 31.03.2018	31.03.2017
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	500,000.00	500,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	- 8,949,227.30	- 8,823,605.00
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए इक्विटी का अट्रबियूट		- 8,449,227.30	- 8,323,605.00
गैर नियंत्रित व्याज		-	-
कुल इक्विटी (क)		- 8,449,227.30	- 8,323,605.00
देयताएं			
गैर- चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) भुगतान योग्य व्यापारy)	19		
(iii) अन्य चालू देयताएं	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)			
(घ) अन्य गैर चालू देयताएं	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		-	-
चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) भुगतान योग्य व्यापार	19	-	-
(iii) अन्य चालू देयताएं	20	216,530,246.42	192,403,782.06
(ख) अन्य चालू देयताएं	23	314,846.54	306,414.54
(ग) प्रावधान	21	1,350,000.00	378,000.00
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)			
कुल चालू देयताएं (ग)		218,195,092.96	193,088,196.60
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		**209,745,865.66**	**184,764,591.60**
		-	-

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

ह/-
(डी.बी. रेड्डी)
सहायक प्रबंधक(वित्त)

ह/-
(एन. राजशेखर)
महाप्रबंधक(वित्त) एमबीपीएल

ह/-
(एस.एन.मेहता)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(जे.पी. सिंह)
निदेशक

डीआईएन -06620453

ह/-
(एल.एन. मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन -07437632

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृत दास एंड दास
सनदी लेखाकार
फ़र्म - पंजीकरण संख्या-322926ई

ह/-
(सीए राजेंद्र कुमार दास)
भागीदार
सदस्य संख्या. 057342

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 27.4.2018

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

लाभ-हानि विवरण

(₹ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
	संचालन से प्राप्त राजस्व	24			
A	विक्रय (निवल)		-	-	-
B	संचालन से प्राप्त अन्य राजस्व (निवल)		-	-	-
(I)	संचालन से प्राप्त राजस्व (क+ख)		-	-	-
(II)	अन्य आय	25	-	-	-
(III)	**कुल आय (I+II)**			-	-
(IV)	**व्यय**				
	खपत वस्तुओं की लागत	26	-	-	-
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीदारी				
	तैयार माल की वस्त् सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार भंडार की सूची में बदलाव	27	-	-	-
	कर्मिक हितलाभ पर व्यय	28	-	-	-
	बिजली एवं ईंधन				
	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	-	-	-
	मरम्मत	30	-	-	-
	संविदात्मक व्यय	31	-	20,269.00	20,269.00
	वित्तीय लागत	32	-	-	-
	मूल्य हास/परिशोधन/हानि पर व्याय				
	प्रावधान	33	-	-	-
	बट्टे खाते डालना	34	-	-	-
	अन्य व्यय	35	125,622.30	126,391.00	126,391.00
					-
	कुल व्यय(IV)		**125,622.30**	**146,660.00**	**146,660.00**
(V)	**असामान्य मदे और टैक्स से पहले लाभ (III-IV)**		**- 125,622.30**	**- 146,660.00**	**- 146,660.00**
(VI)	अपवादात्मक मदें				
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**- 125,622.30**	**- 146,660.00**	**- 146,660.00**
(VIII)	कर पर व्यय	36			
(IX)	**निरंतर परिचालन की अवधि के लिए लाभ(VII-VIII)**		**- 125,622.30**	**- 146,660.00**	**- 146,660.00**

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

लाभ-हानि विवरण

(₹ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
(X)	विच्छिन्न संचालन से लाभ/(हानि)		-	-	-
(XI)	विच्छिन्न संचालन के कर पर खर्च		-	-	-
(XII)	विच्छिन्न संचालन से लाभ(हानि) (कर पूर्व) (X-XI)		-	-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम / एसोसिएट्स लाभ/ (हानि) में शेयर		-	-	-
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ(IX+XII+XIII)**		**- 125,622.30**	**- 146,660.00**	**- 146,660.00**
	अन्य व्यापक आय				
	क (i) मदे जो लाभ या हानी में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानी में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-	-
	ख (i)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-	-
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-	-
(XV)	**कुल अन्य बृहत आय**	37	-	-	-
(XVI)	**अवधि के लिए कुल बृहत आय (XIV + XV) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल में है)**		**- 125,622.30**	**- 146,660.00**	**- 146,660.00**
	मुनाफे का श्रेय:		**- 125,622.30**	**- 146,660.00**	**- 146,660.00**
	कंपनी के मालिक		-	-	-
	अनियंत्रित ब्याज		-	-	-
	कुल व्यापक आय विशेषकर:				
	कंपनी के मालिक		**- 125,622.30**	**- 146,660.00**	**- 146,660.00**
	अनियंत्रित ब्याज				
(XVII)	**प्रति शेयर अर्जन (अविच्छिन्न संचालन के लिए):**				
	(1) मूलभूत		**- 2.51**	**- 2.93**	**- 2.93**
	(2) तरलीकृत		**- 2.51**	**- 2.93**	**- 2.93**
(XVIII)	**प्रति शेयर अर्जन (विच्छिन्न संचालन के लिए):**				
	(1) मूलभूत		-	-	-
	(2) तरलीकृत		-	-	-
(XIX)	**प्रति शेयर अर्जन (विच्छिन्न एवं अविच्छिन्न संचालन के लिए):**				
	(1) मूलभूत		**- 2.51**	**- 2.93**	**- 2.93**
	(2) तरलीकृत		**- 2.51**	**- 2.93**	**- 2.93**

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

ह/-
(डी.बी. रेड्डी)
सहायक प्रबंधक(वित्त)

ह/-
(एन. राजशेखर)
महाप्रबंधक(वित्त) एमबीपीएल

ह/-
(एस.एन.मेहता)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(जे.पी. सिंह)
निदेशक
डीआईएन -06620453

ह/-
(एल.एन. मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन-07437632

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृत दास एंड दास
सनदी लेखाकार
फ़र्म - पंजीकरण संख्या-322926ई

ह/-
(सीए राजेंद्र कुमार दास)
भागीदार
सदस्य संख्या. 057342

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 27.04.2018

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटि में बदलाव का विविरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी (₹ में)

ब्यौरा	01.04.2016 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2017 के अनुसार	01 .04.2017 के अनुसार	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2018 के अनुसार
50000 इक्विटी शेयर @ 10 प्रत्येक	500000.00	0.00	500000.00	500000.00	0.00	500000.00

ख. अन्य इक्विटी

	वरीयता शेयर पूंजी	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सतत विकाश रिजर्व	सामान्य रिजर्व	अन्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण उपकार	व्यापक आय के माध्यम से इक्विटि उपकार	नगदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा	पुनः मूल्यांकन अधिशेस	विदेशी परिचालन के वित्तीय दक्तब्यों के अनुवाद पर विनिमय अंतर	अन्य मदों के व्यापक आय (विशेष प्रकृति)	शेयर वारंटि का प्राप्त धन	इक्विटि धारकों के लिए अन्य इक्विटि का श्रेय	गैर-नियंत्रित व्याज	कुल
01.04.2016 के अनुसार शेष	-	-	-	-	-	-	247,026.00	-	-	-	-	-	-	-	247,026.00	-	247,026.00
लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियों	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2016 के अनुसार पुनः वर्णित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	146,660.00	-	-	-	-	-	-	-	146,660.00	-	146,660.00
लाभांश (लाभांश कर के साथ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय का स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व का स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	**393,686.00**	-	-	-	-	-	-	-	**393,686.00**	-	**393,686.00**
01 .04.2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	**393,686.00**	-	-	-	-	-	-	-	**393,686.00**	-	**393,686.00**
अवधि पूर्ण त्रुटियों या लेखांकन नीति में बदलाव	-	-	-	-	-	-	8,429,919.00	-	-	-	-	-	-	-	8,429,919.00	-	8,429,919.00
01.04.2017 के अनुसार पुनः वर्णित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	125,622.30	-	-	-	-	-	-	-	125,622.30	-	125,622.30
लाभांश (लाभांश कर के साथ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय का स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व का स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	**8,949,227.30**	-	-	-	-	-	-	-	**8,949,227.30**	-	**8,949,227.30**

टिप्पणी-1: कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल), महानदी कोलफील्ड्स की पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर, ओड़िशा राज्य में स्थित है, जिसका निगमन 2 दिसंबर 2011 को किया गया। सुंदरगढ़ जिला, ओड़िशा के वसुंधरा कोलफील्ड्स क्षेत्र में 2*800 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की स्थापना की गई थी।

यह कंपनी मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन में संलग्न है। महानदी बेसिन पावर अपने विकासशील अवस्था में है। अबतक इसकी प्रचालन गतिविधि शुरू नहीं की गई है। महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की कोई भी अनुषंगी कंपनी तथा संयुक्त उद्यम नहीं है।

टिप्पणी 2: महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी के आधार

समूह (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, समूह का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के साथ ही सभी वर्षों तक समूह अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानक(ए.एस). जो समूह लेखा नियम 2014 के साथ पढ़ा जाए तथा समूह (लेखांकन मानक), नियम 2006 के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार समूह के लिए तैयार पहले वित्तीय विवरण हैं।

मापन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि उचित वित्तीय संपत्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद 2.15 मैं वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें)

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तबतक 'रुपए' दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2 समेकन के आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का नियंत्रण है। समूह एक इकाई पर नियंत्रण करती है, जब समूह को इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय लाभ हो या इनका अधिकार हो तथा इकाई के संबंध में गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन लोगों को प्रभावित करने की क्षमता हो, तब समूह को नियंत्रित कर स्थानांतरित किया जाता है उस तारीख से सहायक कंपनियां पूरी तरह से समेकित की जाती है। जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो उस तारीख से उनको हटा दिया जाता है।

समूह द्वारा व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन के अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

समूह संपत्ति देनदारियों, इक्विटी, नकदी प्रवाह आय एवं व्यय की वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत मुख्य एवं उसकी सहायक समूहों के वित्तीय विवरण को जोड़ती है। अंतर समूह लेनदेन कंपनियों के बीच शेष एवं अवास्तविक लाभ का निषेध करती हैं।

समूह के कंपनियों के बीच अवास्तविक नुकसान को भी निकाल दिया गया है, जब तक लेनदेन परिसंपातियों की हानि का सबूत नहीं मिलता है। समूह के सदस्य आमतौर पर नीतियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि समूह द्वारा किए गए लेनतियों में घटनाओं के लिए संकदेन तथा समान परिस्थि-लित किया गया है। सहायक समूहों के महत्वपूर्ण विचलन के मामलों में तथा समूहों के समेकित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने के लिए इस तरह के एक सहायक' समूह के वित्तीय विवरण के लिए उचित समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रित हित, इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण एवं बैलेंस शीट को अलग से लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

2.2.2 सहायिकाएँ -

सहायिकाएँ वे संस्थाएं हैं जिन पर समूहों का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां समूह 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार रखती है।

सहयोगी कंपनियों के निवेश को लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए किया जाता है, प्रारंभ में लागत पर पहचाने जाने के बाद जब निवेश या इसके एक हिस्से को बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है तो उस स्थिति में यह भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार किया जाता है।

सत्ता के उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर सहयोगियां अपने शुद्ध निवेश को कम करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां समूह एक या एक से अधिक अन्य पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण करती है।

संयुक्त नियंत्रण अनुबंध की सहमति से सहमत होने की वह व्यवस्था है ,जहां प्रसांगिक गतिविधियों से संबंधित फैसले को साझा करने के लिए पार्टियों के सर्वसम्मत संकल्प की आवश्यकता होती है।
संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त अभियान या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के अनुबंध के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह को संपत्ति से संबंधित देनदारियों के लिए परिसंपत्तियों और दायित्वों के अधिकार मिले हैं।

समूह परिसंपत्तियों ,देनदारियों, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चो और उसके किसी भी संयुक्त रुप में आयोजित किए गए परिसंपत्तियों, देनदारियों ,राजस्व और व्ययों का अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है इसे उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया हैं।

***2.2.5* संयुक्त उद्यम**

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिसमें समूह को शुद्ध संपत्ति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

बैलेंस शीट में समेकित लागत को उचित मूल्य पर पहचाने जाने के उपरांत संयुक्त उद्यम से ब्याज इक्विटी पद्धति के उपयोग करने हेतु जवाबदेह है।

प्रारंभ में लागत पर पहुंचने के बाद संयुक्त उद्यम में निवेश लेखांकन पद्धति को उपयोग हेतु ध्यान में लाया जाता हैं , जबकि निवेश या उसके किसी हिस्से को बिक्री किया जाता है तो उस स्थिति में
इसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार मान्यता प्राप्त है।
सत्ता के उद्देश्य के साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम अपने शुद्ध निवेश का ह्रास करती है।

2.2.6 इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को शुरुआती लागत पर मान्यता प्राप्त है, इसके बाद समूह के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए तथा समूह शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियो और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब समूह के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान जो इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है ,जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल है, तो समूह अधिक नुकसान नहीं पहचानती है जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

समूह और उसके सहयोगियों एवं संयुक्त उपक्रम के बीच लेन-देन के फायदे इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि अपनाई गई लेनदेन की नीतियों में संपत्ति की हानि का सबूत नहीं मिलता, समूह द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता हैं।

2.2.7 स्वामित्व के हितों में बदलाव

समूह इक्विटी स्वामित्व के साथ लेनदेन की प्रक्रिया में होने वाले गैर नियंत्रण हितों के नुकसान को नियंत्रित करती है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक कंपनियों में दर्शाने हेतु समायोजित करती है। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के भीतर स्वीकार किया जाएगा।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है तो किसी भी इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पर पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोगी समूह ,संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे।

इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि समूह में संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशियों का लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी समूह में स्वामित्व हित कम है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो वर्गीकृत किया जाएगा।

2.3 वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा एक परिसंपत्ति को वर्तमान लागत के रूप में तब माना जाता है, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित है कि संपत्ति स्वीकार की जाये व बेची या उपभोग की जाये।

ख. यह सबसे पहले संपत्ति की देयताओं को व्यापार करने हेतु रखती है।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर परिसंपत्तियों की पहचान की गई हो।

घ. परिसंपत्ति नगद या नगद समकक्ष (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित है) जब तक संपत्ति का आदान-प्रदान प्रतिबंधित किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है तब अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा देयताओं को वर्तमान में स्वीकार किया जाएगा, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में अपेक्षित देयताएं स्थापित की गई हो।

ख. सबसे पहले देयताओं को व्यवसाय हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देयताओं का निपटारा किया जाएगा।

घ. रिपोर्टिंग अवधि(पैराग्राफ-73 देखें) के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने के लिए सशर्त अधिकार नहीं होंगे। देयता की शर्तें जो कि काउंटर पार्टी के विकल्प पर

हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरुप इक्विटी के जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत है।

2.4 राजस्व मान्यता -

2.4.1 माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व

माल बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर स्वीकार किया जाएगा।

क. सत्ता ने विक्रेता को वस्तुओं के स्वामित्व, जोखिम एवं पुरस्कार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है।

ख. वस्तुओं की बिक्री पर सत्ता का स्वामित्व के संबंध में प्रबंधकीय भागीदारी एवं प्रभावी नियंत्रण नहीं रहेगा।

ग. राजस्व राशि विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है।

घ. यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ सीधे सत्ता को प्रदान किया जाएगा।

ङ. लेन-देन के संबंध में किए गए या खर्च किए जाने की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

रूप से परिभाषित भुगतान के शर्तों को ध्यान में लेते हुए प्राप्त होने वाले प्राप्य उचित मूल्य पर राजस्व को मापती है।

हालांकि, भारत के लेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 18 पर शिक्षात्मक सामग्री के आधार पर समूह ने यह मान लिया है कि उत्पाद शुल्क की वसूली समूह अपनी जिम्मेदारी पर करेगी। यही कारण है कि यह उत्पादक की देयता है, जो उत्पाद लागत का हिस्सा है, चाहे माल बेचे गए हों या नहीं कंपनी की अपनी जिम्मेदारी पर वसूली गई उत्पाद शुल्क के बाद से सकल राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल किया गया है।

हालांकि , कंपनी द्वारा अन्य कर लेवी व शुल्क को प्राप्त नहीं किया गया है तथा उसे शुद्ध राजस्व में शामिल नहीं किया गया है।

2.4.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय स्वीकार की जाती है।

2.4.3 लाभांश

जब भुगतान प्राप्ति के अधिकार स्थापित किए जाएंगे तब निवेश से लाभांश आय स्वीकार की जाएगी।

2.4.4 अन्य दावे

जब वसूली की निश्चितता निश्चित हो तब अन्य दावे (ग्राहकों से देरी से प्राप्त होने पर ब्याज सहित) इसके लिए जवाबदेही होगा।

2.4.5 सेवाओं का प्रतिपादन

जब सेवाओं के प्रतिपादन में शामिल लेन-देन का परिणाम विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जाता है तो लेनदेन के पूरा होने के संदर्भ में संबंधित राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूर्ण हो तों लेनदेन का आंकलन विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है।

क. राजस्व राशि विश्वसनीय रूप से मापी जायेगी।

ख. यह संभव है कि लेनदेन से जुड़ी आर्थिक लाभ सीधे सत्ता को जाएगी।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन पूर्ण होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

घ. लेने-देन हेतु खर्च लागत तथा लेन-देन को पूरा करने की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जाएगी।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक स्वीकार नहीं किये जाएंगे जब तक कि उचित आश्वासन न हो की कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और यह निश्चित अनुदान प्राप्त करेगी।

सरकारी अनुदान लाभ और हानि के विवरणों से व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है जिसके लिए कंपनी को संबंधित लागतों का खर्च अनुदान की क्षतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाएगी।

स्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना के द्वारा सरकारी अनुदान से संबंधित सहयोग को बैलेंस शीट में स्थगित आय के रूप में दर्शाया गया है

आय से संबंधित अनुदान शीर्ष ,अन्य आय के अंतर्गत लाभ व हानि को विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सरकार के साथ सरकारी अनुदान जिनपर मूल्य एवं लेनदेन नहीं किया गया हो तथा जिन्हें इक्विटी के सामान्य व्यापारिक लेनदेन से अलग नहीं किया जा सकता, वे सरकारी सहायता के अनुरूप होंगे। यदि अलग से उन्हें नोट में सांकेतिक रूप में दर्शाया गया हो तो इस प्रक्रिया के तहत इक्विटी को सीधे रूप में लाभ प्राप्त होगा।

2.6 पट्टे

वित्त पट्टा एक पट्टा है जो मूलतः परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रुप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित करता है। शीर्षक का स्थानांतरण किया भी जा सकता है अथवा नहीं भी।

प्रचालन पट्टा एक पट्टा होने के अतिरिक्त एक वित्त पट्टा भी है।

2.6.1 एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वे पट्टे जिसे कंपनी के स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों में स्थानांतरित किया गया है उसे वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया ।

2.6.1.1 पट्टे के प्रारंभ में **वित्त पट्टों** को शुरुआती समय में पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है ताकि शेष राशि की देयता पर स्थाई दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रुप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेनदेन की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

संपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी तो परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को संपत्ति क्षीण करती है।

2.6.1.2 परिचालित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार पर पहचाना जाता है।

2.6.2 पट्टेदाता के रुप में कंपनी

परिचालन पट्टा: पट्टे जिसमें कंपनी काफी हद तक किसी भी परिसंपत्ति के स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तानांतरित नहीं करती है, उसे प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टे से किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के भीतर प्रत्यक्ष आधार पर मान्यता प्राप्त होती है। समझौता तथा परिचालन पट्टा में किया गया प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा संपत्ति के साथ शेष राशि को भी जोड़ दिया जाता है जैसा कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप जिसे निष्पादित किया गया था।

पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया जब कंपनी से पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित किया गया। बकाया राशि को उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है जिसमें समूह के पट्टे में सीधे निवेश की गई प्राप्ति के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखा के गणना की अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें पट्टा के अतिरिक्त बकाया निवेश को निरंतर आवृत्तिमूलक रुप में दर्शाया जाता है।

2.7 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु आयोजित करती है यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक

क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेनदेन विनिमय गैर चालू संपत्ति से अन्य गैर चालू संपत्ति में भी किया जा सकेगा जो व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लागू होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। संपत्ति या निष्पादन कंपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब :

- समुचित प्रबंधन स्तर से निष्पादित समूह को बिक्री के लिए यथोचित योजना तैयार करना अपेक्षित हो।
- क्रेता खोज के लिए प्रभावी कदम उठाना तथा संपूर्ण योजना को निष्पादित करना अपेक्षित हो। (यदि लागू हो)
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य को आंकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:-

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है । इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजा आदि शामिल हैं।

अलग संपत्ति के रूप में संयंत्र तथा उपकरण में होने वाले खर्च उस शर्त पर निष्पादित किये जाएंगे, जिसमें समाहित खर्च कम से कम हो तथा लागत मानक के अन्तर्गत किसी भी प्रतिपूरक नुकसान को हानि न पहुंचे। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है।

क. व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख. स्थल तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग. सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे समूह ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति,संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है।

दिन-प्रतिदिन इस तरह के कार्य जिसमें मरम्मतीकरण तथा इसके रख-रखाव का विवरण लाभ और हानि के विवरण में उसी वर्षावधि के अन्तर्गत दर्शाता है जो कि व्यय के समतुल्य होना अपेक्षत होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आंकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ को कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रीयों का मूल्य सटीक रूप से आंकलित किया जायेगा। विगत जांच के समय में कोई भी बकाया राशि(भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) विमुद्रित की जाएगी।

संपत्ति संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये पर जाने पर उसे असंबंद्ध कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे व प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा जमीन के मामलों को छोड़कर प्रति लागत मूल्य के रूप में निम्नलिखित रूप से व्यवहार में अनुमानित लाभ के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

पट्टेकृत भूमि	-	परियोजना की अवधि
भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	8-10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष
अन्य	-	

सम्पदा, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित है। जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि का मूल्य परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किये जाते हैं। पट्टे भूमि का मूल्य पट्टा अवधि या परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं, इनमें से जो भी पहले हो।

पूरी तरह से विखंडित , उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति के संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

समूह द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, माल की आपूर्ति या समूह के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक के लिए संक्रमण

कंपनी वर्तमान मूल्य को लागत मानक की कीमत के अनुसार बनाए रखने का प्रयास करती है जिसमें इसके सभी संपत्ति, संयंत्र या उपकरण जिसमें इसके वित्तीय विवरण एवं हस्तांतरण तिथि से पिछले जीएएपी के अनुसार किया गया निष्पादन सम्मिलित रहता है।

2.9 खदान बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डि-कमीशनिंग बाध्यता-

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा जोखा तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटती है, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की

समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है। कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाएगा।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ -

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये है :

- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास " में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय -

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

<u>वाणिज्यिक संचालन</u>

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है ; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो,

जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित कि जाती है।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनके उचित मूल्य है। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

2.13 हानी

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आंकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो समूह संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जबतक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या माल व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में, विक्रय को निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।
निवेश संपत्ति का आंकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पत्तियों का मूल्य ह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिसपर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है । लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया गया है। यह श्रेणी सामान्यत: अन्य प्राप्यों पर लागू होते हैं।

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफवीटीओसीआई में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इस रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख. परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे समूह ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को ब्याज में जिस एफआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण साधन:

डेब्ट इंस्ड्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएल के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही समूह एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। समूह ने एफवीटीपीएल में किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ड्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इन्स्ड्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव इंस्टुमेंट दर इंस्टुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंस्टुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंस्टुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एण्ड एल से ओसीआई में यहां तक कि निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। समूह इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है।
पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ड्रूमेंट को मापा जाता है।

2.15.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो

(क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है या
(ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि-

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए समूह ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इसके प्रारम्भिक पहचान से शुरू होकर जीवन पर्यंत अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएलएस) पर आधारित होती है।

2.15.3 वित्तीय देयताएँ

2.15.3.1 आरंभिक पहचान तथा माप

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य ऋण देयताओं और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.15.3.2 आगामीमाप

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.15.3.3 वित्तीय देयताएँ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर –

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबतक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं पुन:वर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुन:वर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की परिसंपत्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणाम स्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है और जो बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी

महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पुनः पेश करती है या पुन:वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ, हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.5 वित्तीय साधन को पूरा करना

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और समिति द्वारा तुलन पत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो तो संपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.16 उधार लेने की लागत-

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.17 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ ''आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते है क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए समूह की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थाई करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देनदारियों को आमतौर पर मान्यता प्राप्त होती है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी , जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं
लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां समूह अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को कुछ हद

तक मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें समूह को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।
संबन्धित मदों को छोडकर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पावधि हितलाभ
कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.18.2 रोजागार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। पारिभाषित योगदान योजनाओं में बाध्यताओं को कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में इस अवधि के लाभ-हानि विवरणी में मान्यता दी गई है। इस अवधि में कर्मचारियों ने अपनी सेवा प्रदान की है।

2.18.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक परिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं है। पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में समूह की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत् आंकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में समूह के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक बैलेंस शीट पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना समूह के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो समूह को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा। कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। समूह निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओं में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है।

जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजनाओं को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 अलग करने हेतु खर्च/समायोजन

खुली खदान, खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (सीएमपीडीआईएल द्वारा तकनीकी रूप से अनुमानित तथा परियोजना प्रतिवेदन में वर्णित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (कोयला ओबी) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं बैलेंस शीट की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं	
	I	II
	%	क्वांटम(मिलियन घन-मीटर में)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%	0.03
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%	0.20
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%	शून्य

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोल/कोक का वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती हैं। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य माल की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5% से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।

कोयला, कोक फाइन कोयला और कोक जुर्माना कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक बैलेंस शीट पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लो आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो तो वहाँ दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यताएं यथोचित होती है।

2.23 उपार्जित शेयर

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.24 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

इंडस्ट्रीज के साथ वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेखांकन नीतियों को निर्णय और धारणाएं प्रभावित करती है और परिसंपत्तियों और देनदारियों पर रिपोर्ट की गई राशि आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा करती है और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखा नीतियों के आवेदन को वित्तीय विवरणों में उद्घृत किया जाता है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर

समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण-

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।
क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और
ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :
I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।
Ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है।
Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,
Iv. मितव्ययी, तथा
V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।
प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।
क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और
ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

2.24.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामाग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामाग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा सत्ता अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।
वित्तीय वर्ष 2011-2012 से 2014-2015 की अवधि के दौरान ₹.8429919.00 को पूंजीकृत किया गया था लेकिन जो परियोजना से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं हैं, वित्तीय वर्ष 2017-18 के पहले तिमाही में सीएंडजी, कोलकाता के निर्देश के अनुसार लाभ और हानि विवरण में शामिल किया गया है।

2.24.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते को अपनाया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.24.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि

हानि के संकेत हैं, यदि परिसंपत्तियों या नगदी का वहन मूल्य वसूली राशि से अधिक हो तो वे मूल्य उपयोगी होंगे, जो अपने निष्पक्ष मूल्य के निपटान मूल्य के न्यूनतम लागत पर निर्धारित किए जायेंगे। कंपनी प्रत्येक खानों को अलग-अलग नगद बनाने वाली ईकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मोडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए

सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी। कारों से संबन्धित आगामी विवरण का उल्लेख टिप्पण-39 में किया गया है।

2.24.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए
उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.24.2.4. वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप -

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां -

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट केंद्रीय खनन योजना तथा डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के द्वारा तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.24.2.6. खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदानों को बंद करने के लिए उचित कारणों का होना अनिवार्य है। साइट पुन: स्थापना और डीकमिसनिंग दायित्व निम्न छूट दर पर प्राप्त होती है। साइट पुन: स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। कंपनी परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति को चलाने का प्रावधान निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर करती है।

कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट, के अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।

बट्टा दर- 8%

2.24 **संक्षेपों का प्रयोग**

CGU	नगद उत्पाद इकाई (Cash generating unit)
DCF	रियायती नगद प्रवाह (Discounted Cash Flow)
FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Other Comprehensive Income)
FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Profit & Loss)
GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (Generally accepted accounting principal)
Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards)
OCI	अन्य व्यापक आय(Other Comprehensive Income)
P&L	लाभ और हानि (Profit and Loss)
PPE	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment)
SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (Solely Payment of Principal and Interest)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3 :संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों

(₹ में)

	वियुक्त किया गया है														
	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	निर्माण (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	हवाई-जहाज	अन्य खनन आधार संरचना	परिसंपत्तियां का सर्वे ऑफ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:															
01.04.2016 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	922,478.66	333,258.00	-	-	-	725.00		1,256,461.66
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-	-	-	-		210,000.00
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-			-	- 70,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	922,478.66	473,258.00	-	-	-	725.00	-	1,396,461.66
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	922,478.66	473,258.00	-	-	-	725.00	-	1,396,461.66
परिवर्धन			-						-				4,492.00		4,492.00
विलोपन / समायोजन			-						- 108,838.00				-	-	108,838.00
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	922,478.66	364,420.00	-	-	-	5,217.00	-	1,292,115.66
संचित मूल्यह्रास और हानि															
01 अप्रैल 2016 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	196,118.00	167,951.32	-	-	-	-		364,069.32
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	78,920.00	162,796.00	-		-	-		241,716.00
हानि	-	-	-	-	-	-	-					-	-		-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-		-		- 18,472.00	-		-	-	-	18,472.00
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	275,038.00	312,275.32	-	-	-		-	587,313.32
01 अप्रैल 2016 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	275,038.00	312,275.32	-	-	-	-	-	587,313.32
वर्ष के लिए शुल्क								160,060.00	106,122.00				-		266,182.00
हानि															-
विलोपन / समायोजन									- 262,786.00					-	262,786.00
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	435,098.00	155,611.32	-	-	-	-	-	590,709.32
															-
नेट कायरिंग अमौंट															-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	**487,380.66**	**208,808.68**	**-**	**-**	**-**	**5,217.00**	**-**	**701,406.34**
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	**647,440.66**	**160,982.68**	**-**	**-**	**-**	**725.00**	**-**	**809,148.34**
01 अप्रैल 2016 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	**726,360.66**	**165,306.68**	**-**	**-**	**-**	**725.00**	**-**	**892,392.34**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 4 : कैपिटल वैप

(₹ में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	**अन्य खदान संरचना / विकास**	**अन्य (नोट में विनिर्दिष्ट)**	**कुल**
सकल वहन राशि:						
01.04.2016 के अनुसार	-	-	-	144,135,085.92	-	144,135,085.92
परिवर्धन	-	-	-	31,846,742.00	-	31,846,742.00
पूंजीकरण / विलोपन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-	175,981,827.92	-	175,981,827.92
						-
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-	-	-	175,998,347.43	-	175,998,347.43
परिवर्धन	-	-	-	24,133,519.27	-	24,133,519.27
पूंजीकरण / विलोपन	-	-	-		-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	200,131,866.70	-	200,131,866.70
						-
संचित प्रावधान और हानि						-
01.04.2016 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
						-
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क						-
हानि						-
विलोपन / समायोजन						-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
						-
निवल वहन राशि						-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	200,131,866.70	-	200,131,866.70
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-	175,981,827.92	-	175,981,827.92
01.04.2016 के अनुसार	-	-	-	144,135,085.92	-	144,135,085.92

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2016 के अनुसार	-
परिवर्धन	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-
परिवर्धन	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
संचित प्रावधान और हानि	
01.04.2016 के अनुसार	
वर्ष के लिए शुल्क हानि	
पूंजीकरण / विलोपन	
31 मार्च 2017 के अनुसार	-
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-
वर्ष के लिए शुल्क हानि	
पूंजीकरण / विलोपन	
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-
01.04.2016 के अनुसार	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6 :अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	कोल ब्लॉक विक्रय के लिए	अन्य (नोट में विनिर्दिष्ट)	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2016 के अनुसार	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-	-
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-		-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-
संचित प्रावधान और हानि				
01.04.2016 के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
पूंजीकरण / विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-		-	-
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-
निवल वहन राशि				
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-	-
01.04.2016 के अनुसार	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 : निवेश

(₹ में)

	गैर- चालू	के अनुसार	
		31.03.2018	31.03.2017
शेयर में निवेश			
संयुक्त उद्यम कंपनीयों /आनुषंगिक में इक्विटि शेयर		-	-
अन्य			
कुल:			
उद्धृत निवेश की कुल राशि			
उद्धृत निवेश की कुल राशि		-	-
उद्धृत निवेश की बाजार मूल्य		-	-
मूल्य एवं निवेश में कुल राशि की हानि		-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 (जारी..)

निवेश
चालू

	इकाइयों की संख्या वर्तमान अवधि/(गत वर्ष)	एनएवी (₹. में)	(₹ में) के अनुसार 31.03.2018	31.03.2017
व्यापार (अनुद्धृत)				
म्यूचुअल फ़ंड में निवेश				
केनारा रोबेको लिक्विड फंड	-	0.00		-
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	-	0.00		-
यूटीआई मनी मार्केट फंड	-	0.00		-
यूनियन केबीसी	-	0.00		-
कुल :			-	-
उद्धत निवेश का योग			-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि			-	-
उद्धृत निवेश की बाजार मूल्य				-
मूल्य एवं निवेश में कुल राशि की हानि			-	-

वर्गीकृत संदर्भ नोट 39 (1) में देखें

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 8 :ऋण

(₹ में)

	के अनुसार 31.03.2018	31.03.2017
गैर-चालू		
संबंधित पार्टी को ऋण		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
-संदेहास्पद		
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान		
	-	-
कर्मचारियों के लिए ऋण		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-संदेहास्पद	-	-
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
अन्य ऋण (नोट में विनिर्दिष्ट)		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-संदेहास्पद	-	-
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
-संदेहास्पद		
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता		
चालू		
संबंधित पार्टियों को ऋण		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-संदेहास्पद	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कर्मचारियों के लिए ऋण		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-संदेहास्पद	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल		
वर्गीकरण		
-सुरक्षित, जिसे अच्छा समझा गया		
-असुरक्षित, जिसे अच्छा समझा गया		
-संदेहास्पद		

नोट: कर्मचारियों को ऋण

सीआईएल कर्मचारियों के लिए चालू और गैर-चालू ऋण लेने में हाउस बुल्डिंग ऋण और वाहन ऋण शामिल सामील है ।

टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ में)

	के अनुसार	
	31.03.2018	31.03.2017
गैर चालू		
बैंक में जमा	-	-
खदान बंदी योजना के तहत		
- बैंक में जमा	-	-
- साथनांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
खदान बंदी खर्च के लिए एस्क्रो लेखा से प्राप्य	-	-
अन्य जमा (नोट में निर्दिष्ट किया गया है) (to be specified in note)	7501000.00	7501000.00
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	-	-
	7,501,000.00	7,501,000.00
उपयोगिता के लिए सुरक्षा जमा	-	-
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	-	-
अन्वेषण कार्यों के लिए प्राप्य	-	-
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	-	-
अन्य प्राप्तिया	-	-
घटाव: संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता	-	-
कुल	**7,501,000.00**	**7,501,000.00**
चालू		
सीआईएल के साथ अधिशेष फंड (सहायक कंपनीयों के लिए)	-	-
खदान बंदी खर्च के लिए एस्क्रो लेखा से प्राप्त	-	-
चालू खाते के साथ		
- आनुषंगिक	-	-
- आईआईसीएम	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता		
जमा ब्याज		
- निवेश	-	-
- बैंक जमा	-	-
- अन्य(नोट में निर्दिष्ट)	-	-
अन्य जमा (नोट में निर्दिष्ट)(to be specified in note)	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	-	-
दावा प्राप्तियां	-	-
घटाव : संदिग्ध दावों के लिए भत्ता	-	-
अन्य प्रात्य	-	-
घटाव : संदिग्ध दावों के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

वर्गीकृत संदर्भ नोट 39 (1) में देखें

नोट:

बैंक जमा का आशय बैंक में 12 महा से ज्यादा के प्रारंभिक परिपक्वता जमा से है ।

निर्देश:

1. एमसीपी और रीहेब के अंतर्गत जमा को 12 महा बाद प्राप्त होने की संभावना को प्रदर्शित किया जायेगा (चालू भाग को नगद और नगद समतुल्य और अन्य बैक शेष में अलग किया जाता है)
2. एमसीपी के अंतगेत हुये खचे के लिए एस्क्रो लेखा से 1 वर्ष के उपरांत के प्राप्त को यहॉ सामील किया जाएगा ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ में)

	के अनुसार 31.03.2018	31.03.2017
(i) पूंजीगत अग्रिम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
(ii)पूंजीगत विकास के अलावा अन्य अग्रिम		
(क)उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-
(ख) अन्य जमा (नोट में विनिर्दिष्ट) (to be specified in	-	-
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-
(ग)संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-
(घ) राजस्व के लिए अग्रिम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
(ङ)खोजी ड्रिलिंग कार्य	-	-
घटाव: प्रावधान	-	-
कुल	-	-

नोट :

1. सुरक्षा जमा वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा अलग-अलग होनी चाहिए। वित्तीय संपत्ति नोट 8 के अन्य जमा के तहत दिखाया जाएगा

2.आर एंड डी के लिए अग्रिम वर्तमान और गैर-वर्तमान हिस्से में अलग किया जाना चाहिए और यह ध्यान में रखना होगा कि इसे संबंधित पक्षों में अग्रिम में शामिल किया गया है

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-11 :अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ में)

	के अनुसार	
	31.03.2018	**31.03.2017**
(क) राजस्व के लिए अग्रिम (सामग्री एवं सेवाएं)	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) संवेधिक देय राशि का अग्रिम भ्ुगतान	308100.00	308100.00
घटाव:संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	308,100.00	308,100.00
(ग) संबंधी पार्टी के लिए अग्रिम	-	-
(घ) कर्मचारी के लिए अग्रिम	182,358.00	102,000.00
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेत् प्रावधान	-	-
	182,358.00	102,000.00
(ङ) अन्य- अग्रिम(नोट में विनिर्दिष्ट)	236.00	-
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान		
	236.00	-
(च) जमा- अन्य (नोट में विनिर्दिष्ट)	-	-
घटाव: प्रावधान	-	
	-	-
(छ) केनवैट/ वैट क्रेडिट प्राप्य	-	-
घटाव: प्रावधान	-	
	-	-
	-	-
(ज) मैट क्रडिट एंटाईटलमेंट	-	-
(झ) खर्च पूर्व भुगतान	-	-
(ञ) प्राप्तियां- अन्य	-	-
घटाव: प्रावधान	-	-
	-	-
कुल	**490,694.00**	**410,100.00**

अनुदेश:

1. अन्य जमाओं मे सामील होने वाले जमा को नोट में स्पष्ट किया गया है ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 12 :वस्तुसूची

(प्रबंधन द्वारा लिया गया, मूल्यवान एवं प्रमाणित)

(₹ में)

	के अनुसार	
	31.03.2018	**31.03.2017**
(क) कोयले का भंडार	-	-
विकासाधीन कोयला	-	-
		-
घटाव : प्रावधान	-	-
कोयले का स्टॉक (निवल)	-	-
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत)	-	-
जुड़ावो : मार्गस्थ भंडार	-	-
घटाव:प्रावधान	-	-
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)	-	-
(ग) **केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक**	-	-
(घ) कर्मशाला संबंधी कार्य :		
कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	-	-
घटाव : प्रावधान	-	-
कर्मशाला कार्यों का निवल स्टॉक	-	-
(ङ) प्रैस कार्य:		
कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 13 : व्यापार से प्राप्य

(₹ में)

	के अनुसार 31.03.2018	31.03.2017
चालू		
व्यापार से प्राप्य		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
-संदेहास्पद		
घटाव : डूबा और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता		
कुल		

नोट :

1. कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अलग-अलग या संयुक्त रूप से कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा नहीं की गई हैं।किसी फॉर्म या निजी कंपनी में कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य नहीं है जिसमें किसी व्यापार में प्राप्ति बकाया हो ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-14 :नगद एवं नगदी के समांतर

(₹ में)

		के अनुसार	
		31.03.2018	**31.03.2017**
(क)	बैंक में नकद		
	-जमा लेखा में		
	- चालू लेखा में	920898.62	52515.34
	- नकद जमा लेखा में		
(ख)	भारत के बाहरी बैंक में नकद		
(ग)	हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प		
(घ)	हात में नकद		
(ङ)	भारत के बाहर हाथ में नकद		
(च)	अन्य- स्थायी अग्रिम और अग्रदाय(नोट में विनिर्दिष्ट)		10000.00
	कुल नकद और नकद समांतर	920898.62	62515.34
	(बैंक ओवरड्राफ्ट)		
	नगद एवं नगदी के समांतर (बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल)	920,898.62	62,515.34

1 नगद और नगद समकक्षों में हाथ या बैंक में नगत स्वीप लेखा बैंक में आवधिक जमा जिनकी वास्तविक तीन महीनो या उससे कम हो ।

2 कंपनी द्वारा उपयोग के लिए नगद और नगद समकक्ष शेष राशि उपलब्ध नहीं है ।

3 वर्ष के दौरान किशिभी समये अनुसूचित बाँकों के अलावा, बैंक के साथ बकाया राशि, को अधिकतम उपलब्ध करती है । वर्गीकृत संदर्भ नोट 39 (1) में देखें

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ में)

	के अनुसार	
	31.03.2018	31.03.2017
बैंक में शेष		
- जमा लेखा परिपक्वता 3 माह से अधिक	-	-
खदान बंद योजना	-	-
- स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
अभुक्त लाभांश लेखा	-	-
- लाभांश लेखा		
कुल	-	-

नोट : बैंकों के साथ शेष राशि को उधार लेने के लिए धन सीमा तथा सुरक्षा के रूप में रखा गया है ।

1. अन्य बैंक बैलेन्स में सावधी जमा और अन्य बैंक जमा शामिल होते हैं जो की प्रतिवेदन की प्रारंभिक तिथि से 12 महीनो के दौरान नकद के रूप में वसुल किए जाने आपेक्षित है ।

वर्गीकृत संदर्भ नोट 39 (1) में देखें

नोट:

1 मार्जिन राशि या प्रतिभूति के रूप में एक सीमा तक बैंक शेष: ऋण,गारेंटी, अन्य प्रतिबद्दतायें, अन्य उद्दीष्ट शेष के लिए बैंक सशेष को अलग से उल्लेख किया जायेगा नगद और बैंक शेष के संबंध में संप्रत्यावर्तन प्रतिबंध, यदि कोई हो, को अलग से उल्लेख किया जाएगा ।

2 नकद और बैंक शेष के संबंध में प्रत्यावर्तन प्रतिबंध, यदि कोई हो, अलग से कहा जाएगा।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

(₹ में)

टिप्पणी- 16 :इक्विटी शेयर पूंजी

	के अनुसार	
	31.03.2018	**31.03.2017 (पुनःघोषित)**
अधिकृत		
₹10 प्रत्येक का 50000 इक्विटी शेयर	500000.00	500000.00
	500,000.00	**500,000.00**
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक 10 रुपये के 50000 इक्विटी शेयर प्रत्येक नगद के रूप से प्रदत्त	500000.00	500000.00
	500,000.00	**500,000.00**

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	**शेयरधारकों की संख्या (10 रूपए प्रत्येक का)**	**कुल शेयरों का प्रतिशत**
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और इसके नामांकित	50000	100

2 अवधि के दौराना, कंपनी ने कि सीभी शेयर को जारी या वापश नहीं लिया

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ में)

	वरीयता शेयर पूंजी का इक्विटी हिस्सा	अन्य रिजर्व				सामान्य रेजर्व	प्रतिधारित कमाई	अनियंत्रित ब्याज	कुल
		कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	पूंजीगत रिजर्व	सीएसआर रेजर्व	सतत विकास रिजर्व				
01.04.2016 के अनुसार शेष	-	-	-	-	-	-	**- 247,026.00**	-	**- 247,026.00**
वर्ष के दौराना बृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	- 8,429,919.00	-	**- 8,429,919.00**
01.04.2016 के अनुसार पुनःघोषित शेष	-	-	-	-	-	-	- 8,676,945.00	-	**- 8,676,945.00**
प्रतिधारण आय पर स्थानांतरण	-	-	-	-	-			-	-
अन्य भंडार / प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-			-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-		- 146,660.00	-	**- 146,660.00**
विनियोग									-
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-			-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-		-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-		-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-		-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-		-	-	-
31.03.2017 के अनुसार शेष	-	-	-	-	-	-	**- 8,823,605.00**	-	**- 8,823,605.00**
01.04.2017 के अनुसार शेष	-	-		-	-	-	**- 8,823,605.00**	-	**- 8,823,605.00**
वर्ष के दौराना बृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-		-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन							-	-	-
01.04.2016 के अनुसार संबंधित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारण आय पर स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य भंडार / प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-		-	-		- 125,622.30	-	**- 125,622.30**
विनियोग									-
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन(नोट में विनिर्दिष्ट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार शेष	-	-	-	-	-	-	**- 8,949,227.30**	-	**- 8,949,227.30**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 18: ऋण

(₹ में)

	के अनुसार	
	31.03.2018	31.03.2017
गैर-चालू		
बैंकिवि नेशनल डी पेरिश एण्ड नेक्टिसी बैंकिवि फ़्रांस		
अवधि ऋण		
-बैंकों शेष	-	-
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण		
अन्य ऋण (नोट में विनिर्दिष्ट)		
एमसीएल के लिए ऋण		
कुल	-	-
वर्गिकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर लौटाने वाले ऋण		
-बैंकों शेष	-	-
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण		
अन्य ऋण (नोट में विनिर्दिष्ट)		
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

प्रत्येक मामले में प्रभावी ब्याज दर और प्रत्येक उधार की परिपक्वता तिथि पहले से ही दिये गए विस्तृत नोट में दिया गया है ।
वर्गीकृत संदर्भ नोट 39 (1) में देखें

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 19 :भुगतान योग्य व्यापार

(₹ में)

	31.03.2018	31.03.2017
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान	-	-
व्यापार के लिए अन्य भुगतान		
-भंडार और पूर्जों	-	-
-ऊर्जा एवं ईंधन	-	-
-अन्य (नोट मेजर ब्रेकअप में दिया गया है) ve major br	-	-
कुल	-	-

वर्गीकृत संदर्भ नोट 39 (1) में देखें

एमएसएमई को बकाया राशि और यदि कोई हो तो ब्याज की अवधि बढ़ाना

अवधि	**31.04.2018**	**31.04 .2017**
15 दिन के अंदर बकाया		
16 से 30 दिन के अंदर बकाया		
31 से 45 दिन के अंदर बकाया		
45 दिन से अधिक		
एमएसएमई के कुल लेनदारों		

एमएसएमई के लेनदारों जिसमें एमएसएमई के लेनदारों द्वारा भुगतान नहीं किये गये ब्याज भी शामिल है ₹ . _____(31.03.2018 को ₹_____)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय दायिताएं

(₹ में)

	के अनुसार	
	31.03.2018	**31.03.2017**
गैर चालू		
सुरक्षा जमा	-	
अग्रिम राशि	-	-
अन्य(नोट में विनिर्दिष्ट)	-	-
	-	-
चालू		
आनुषंगिक कंपनीयों से अधिशेष(सीआईएल के लिए)	-	-
निम्नलिखित के साथ चालू खाता		
- आनुषंगिक/होल्डिंग कंपनी(एमसीएल)	212,675,776.42	188,567,010.00
- आईआईसीएम	-	-
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
अभुक्त लाभांश	-	-
सुरक्षा जमा एवं एसडी से एमजीटी प्रशिक्षु	575,724.00	236461.00
सुरक्षा जमा	5,107.00	-
अग्रिम राशि		
अन्य (नोट में विनिर्दिष्ट)	3,273,639.00	3,600,312.00
कुल	**216,530,246.42**	**192,403,782.06**

नोट: अन्तरिम लाभाश सहित अभुक्त लाभाश घोषित किया गया है लेकिन 30 दिन समाप्त नही हुएं है को इसे अमुक्त लाभांश खाते में अंतरण किया जाएगा।

अन्य में प्राप्त एमटी बॉन्ड राशि को चालू और गैर चालू में वर्गरीकृत किया जाएगा ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 21 : प्रावधान

(₹ में)

	के अनुसार	
	31.03.2018	31.03.2017
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ	-	-
ग्रैच्युटी		-
छुट्टी नकदीकरण		-
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	-	-
खदान बंदी	-	-
ओवरबर्डन निष्कासन	-	-
अन्य(नोट में विनिर्दिष्ट)		
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
अनुग्रह राशि	-	-
- पीआरपी	-	-
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	1,350,000.00	378,000.00
खदान बंद	-	-
कोयले के समापन स्टॉक पर एक्साइज ड्यूटी	-	-
अन्य(नोट में विनिर्दिष्ट)	-	
कुल	**1,350,000.00**	**378,000.00**

निर्देश
बीमांकित मूल्यांकन प्रावधान के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाये, वर्ष के दौरान वास्तविक देय को चालू देयताओं में प्रदर्शित किया जाये ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 22 :अन्य चालू दायिताएँ

(₹ में)

	के अनुसार	
	31.03.2018	31.03.2017
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि (केवल सीआईएल के लिए)		
प्रारंभिक शेष		
अड्ड: फ़ंड में निवेश से प्राप्त ब्याज (निवल टीडीएस)		
अड्ड: योगदान प्राप्त हुआ		
घटाव: वर्ष के दौरान आनुषंगिक कंपनीयों को जरी राशि		
विलंबित आय		
कुल	-	-

नोट: उपकार और अन्य विवादों के लिए देय राशि वर्तमान देयता के तहत हो ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू दायिताएँ

(₹ में)

	के अनुसार			
	31.03.2018		**31.03.2017**	
पूंजीगत व्यय	-		-	
वैधानिक बकाया:				
विक्रय कर/ वैट	-		-	
भविष्य निधि और अन्य	-		-	
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी	-		-	
रॉयल्टी और कोयला पर सेस	-		-	
स्टोसिंग एक्साइज ड्यूटी	-		-	
स्वच्छ ऊर्जा सेस	-		-	
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	-		-	
जिला खनिज फाउंडेशन	-		-	
सेवा कर - रिवर्स तंत्र के अंतर्गत	-			
अन्य वैधानिक लेवी	-		-	
आयकर की कटौती / स्रोत पर एकत्र	314846.54		306414.54	
कोयला आयात के लिए अग्रिम	-		-	
ग्राहकों से अग्रिम / अन्य	-		-	
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर टैक्स	-		-	
स्थानांतरण और पूनर्वास निधि (केवल सीआईएल के लिए)	-		-	
अन्य देयताएं(नोट में विनिर्दिष्ट)	-		-	
कुल		**314,846.54**		**306,414.54**

*निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के भुगतान के लिए कोई राशि नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

(₹ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
क. कोयले का विक्रय	-	-	-
घटाव :अन्य वैधानिक उगाही			
रॉयल्टी	-	-	-
कोयले पर उपकर	-	-	-
उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी	-	-	-
केन्द्रीय बिक्री कर	-	-	-
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-	-
राज्य बिक्री कर/वैट	-	-	-
राष्ट्रिय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	-	-	-
जिला खनिज फाउंडेशन	-	-	-
अन्य उगाही	-	-	-
कुल उगाही	-	-	-
कोयला का विक्रया (निवल) (क)	-	-	-
ख. अन्य संचालन राजस्व			
कोयला आयात हेतु सुविधा प्रभार	-	-	-
बालू भरने और सुरक्षात्मक कार्य हेतु अनुदान	-	-	-
लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	-	-	-
घटाव: उत्पाद शुल्क	-	-	-
घटाव : अन्य वैधानिक उगाही	-	-	-
अन्य संचालन राजस्व (निवल) (ख)	-	-	-
संचालन से राजस्व(क+ख)	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 25 :अन्य आय

(₹ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज आय			
बैंक में जमा	-	-	-
निवेश	-	-	-
ऋण(नोट में ऋण को कर्मचारियों/संबंधित पक्षो में अलग अलग किया जाये)	-	-	-
समूह के अंदर फ़ंड पर्क	-	-	-
अन्य (नोट में विनिर्दिष्ट)	-	-	-
लाभांश आय			
सहायक कंपनियों में निवेश	-	-	-
म्युचुअल फंड में निवेश	-	-	-
अन्य गैर-ऑपरेटिंग आय			
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	-	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-	-
विनिमय दर भिन्नता	-	-	-
पट्टा किराया	-	-	-
देयता / राइट बैक के लिए प्रावधान	-	-	-
स्टॉक में कमी पर एक्साइज ड्यूटी	-	-	-
विविध आय	-	-	
कुल	-	-	

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 26 :सामग्री की लागत में खपत

(₹ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
बिस्फोटक	-	-	-
लकड़ी	-	-	-
तेल एवं लुब्रिकेंट	-	-	-
एचईएमएम के पुर्जे	-	-	-
अन्य उपभोज्य भंडार और पूर्जों	-	-	-
कुल			-

टिप्पणी 27 : तैयार माल़ कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन

(₹ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	-	-	-
योग: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन	-	-	-
घटाव : कोयले का क्षरण	-	-	-
घटाव:-	-	-	-
कोयले का अंतिम स्टॉक	-	-	-
घटाव : कोयले का क्षरण	-	-	-
क कोयले की सूची में परिवर्तन	-	-	-
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक	-	-	-
योग: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन	-	-	-
घटाव: प्रावधान	-	-	-
घटाव:	-	-	
तयार माल एव डब्लूआइपा बनान वाल कमशाला का आतम स्टॉक			-
घटाव: प्रावधान			
ख कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन			
प्रैस प्रारंभिक कार्य			
i)तैयार माल			
ii)कार्य प्रगति पर			
घटाव: प्रेस समाप्ति कार्य			
i)तैयार माल			
ii)कार्य प्रगति पर			
ग प्रेस जॉब की समाप्ति स्टॉक की वस्तु सूची में परिवर्तन			
व्यापार में स्टॉक की वस्तु सूची में बदलाव (क +ख + ग) {घटा / / (अधिग्रहण)}	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 28 :कर्मचारी हित लाभ

(₹ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस इत्यादि	-	-	-
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के लिए प्रावधान (एनसीडबल्यूए) - X*	-	-	-
अधिकारियों की वेतन संशोधन- प्रावधान	-	-	-
अनुग्रह राशि	-	-	-
पीआरपी	-	-	-
		-	-
भविष्य निधि और अन्य फंडों में योगदान	-		
उपदान	-	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-	-
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	-	-	-
कामगार क्षतिपूर्ति	-	-	-
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा	-	-	-
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	-	-	-
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान	-	-	-
खेल व मनोरंजन	-	-	-
कैंटीन व क्रैच	-	-	-
विद्युत - टाउनशिप	-	-	-
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया प्रभार	-	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ			
	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 29 :सीएसआर व्यय

(₹ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
सीएसआर व्यय (नोट में स्पष्टीकरण xplain in note)	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(₹ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
बिल्डिंग	-	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-
अन्य	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 31 :संविदात्मक व्यय

(₹ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
परिवहन शुल्क:			
- बालू	-	-	-
- कोयला	-	-	-
- भंडार एवं अन्य	-	-	-
वैगन लदाई	-	-	-
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	-	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	-	20,269.00	20,269.00
कुल	**-**	**20,269.00**	**20,269.00**

टिप्पणी 32 :वित्तीय लागत

(₹ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज पर व्यय			
उधारी	-	-	-
छुट को जारी रखना (ब्रेकअप में नोटस)	-	-	-
समूह के अंदर फ़ंड पर्क	-	-	-
अन्य(नोट में विनिर्दिष्ट)	-	-	-
अन्य उधारी लागत	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**

नोट: अन्य ऋण लागत में बैंक प्रतिबद्धता प्रभार और अन्य प्रभार को शामिल किया जायेगा ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 33 : प्रावधान (निवल रिवर्सल)

(₹ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) के लिए प्रावधान			
संदिग्ध ऋण	-	-	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	-	-
अन्य(नोट में विनिर्दिष्ट)	-	-	-
कुल(क)	-	-	-
(ख) प्रावधान रिवर्सल			
संदिग्ध ऋण	-	-	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	-	-
अन्य(नोट में विनिर्दिष्ट)	-	-	-
कुल(ख)	-	-	-
कुल (क-ख)	-	-	-

नोट : अन्य

पूंजी डब्लुआईपी

सर्वे-आफ

अन्य

NOTE 34 : WRITE OFF (Net of past provisions)

(₹ in Rs.)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
संदिग्ध ऋण			
घटाव :- पूर्व प्रदत्त			
संदिग्ध अग्रिम			
घटाव :- पूर्व प्रदत्त			
कोयले का स्टाक			
घटाव :- पूर्व प्रदत्त			
अन्य			
घटाव :- पूर्व प्रदत्त			
कुल	-	-	-

नोट: पीपीई/ पूंजी डबल्यूआईपी और अन्य परिसंपतियों में अन्य (विवरात्मक नोट में पृथक) को शामिल
किया जाएगा

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
यात्रा व्यय			
- घरेलू	-	-	-
- विदेशी	-	-	-
प्रशिक्षण व्यय	-	-	-
दूरभाष एवं डाक खर्च	599.00	1,231.00	1,231.00
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	-	-	-
भाड़ा प्रभार	-	-	-
डेमरेज	-	-	-
दान /अभिदान	-	-	-
सुरक्षा व्यय	-	-	-
सीआईएल का सेवा प्रभार	-	-	-
भाड़ा प्रभार	-	-	-
सीएमपीडीआइ व्यय	-	-	-
विधिक व्यय	-	-	-
बैंक प्रभार	994.50	255.00	255.00
गेस्ट हाऊस व्यय	-	-	-
परामर्श प्रभार	-	-	-
अंडरलोडिंग प्रभार	-	-	-
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेऑफ परिसंपत्तियों पर हानि	-	-	-
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय			
- लेखा परीक्षा फीस	70,800.00	69,000.00	69,000.00
- कर संबंधी मामले	-	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	-	-	-
-व्यय की प्रतिपूर्ति	12,000.00	16,500.00	16,500.00
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	-	-	-
ब्याज और जुर्माना	10.00	-	-
रायल्टी एवं सेस	-	-	-
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-	-
किराया	-	-	-
दर एवं कर	-	-	-
बीमा	-	-	-
विदेशी मुद्रा विनिमय पर हानि	-	-	-
विनिमय दर में अंतर से हानि	-	-	-
पट्टा किराया	-	-	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	-	-	-
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	-	-	-
साइडिंग अनुरक्षण प्रभार	-	-	-
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	-	-	-
आर एंड डी व्यय	-	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	-	-
विविध व्यय	41,218.80	39,405.00	39,405.00
कुल	**125,622.30**	**126,391.00**	**126,391.00**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
चालू वर्ष	-	-	-
आस्थगित कर	-	-	-
एमएटी क्रेडिट इनटाइटलमेंट	-	-	-
पिछले वर्षों में	-	-	-
कुल	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 37 : अन्य वृहद आय

(₹ में)

		31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
(क)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें**			
	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन			
	परिभाषित लाभ योजनाओं का रीमेजरमेंट			
	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण			
	एफवीटीपीएल में नामित वित्तीय देनदारियों के स्वयं के क्रेडिट जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन			
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर			
		-	-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन			
	परिभाषित लाभ योजनाओं का रीमेसिमेंटेशन			
	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण			
	एफवीटीपीएल में नामित वित्तीय देनदारियों के स्वयं के क्रेडिट जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन			
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा			
		-	-	-
	कुल(क)	-	-	-
(ख)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जानेवाले मदें**			
	किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर			
	ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन			
	नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग			
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर			
		-	-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: परिष्कृत किया जाएगा			
	किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर			
	ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन			
	नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग			
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर			
		-	-	-
	कुल (ख)	-	-	-
	कुल (क+ख)	-	-	-

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

नोट-38: अतिरिक्त लेखांकन टिप्पणियाँ

एमसीएल (होल्डिंग कंपनी) के वर्तमान खाते में, कंपनी के निगमन खाते पर किये गए खर्च, बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए सलाहकारों को किये गए भुगतान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, फर्नीचर खरीदने हेतु कोयले के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान पर्यावरण निकासी हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहमति शुल्क, जल आबंटन के लिए प्रतिभूति तथा अन्य विविध व्यय आदि प्रस्तुत किये गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में पहले तिमाही में ₹.2961797.25 में दूसरे तिमाही में ₹.3022951.71, तीसरा तिमाही में ₹.2975021.60 में तथा चौथे तिमाही में ₹.3088466.22 का भुगतान एमसीएल (होल्डिंग) कंपनी) के चालू खाता में किया गया।

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

नोट-39: 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त हुए वित्तीए विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. उचित मूल्य मापन

क. वर्गवार वित्तीय साधन **(₹ में)**

	31 मार्च 2018			31मार्च 2017		
	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
निवेश :	-	-	-	-	-	-
सुरक्षित बॉन्ड	-	-	-	-	-	-
सहायक कंपनी में अधिमानी शेयर	-	-	-	-	-	-
म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य	-	-	7501000.00	-	-	7501000.00
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
नगद एवं नगद समतुल्य	-	-	920898.62	-	-	62515.00
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-

उधार	-	-	212675776.42	-	-	188567010.00
व्यापार देय	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	-	575724.00	-	-	236461.00
अन्य देयताएं	-	-	3273639.00	-	-	3600312.00

कंपनी मानता है कि "सुरक्षा जमा" एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के रुप में शामिल नहीं है। माइलस्टोन पेमेंट (सुरक्षा जमा) समूह के प्रदर्शन से मेल खाता है तथा उसमें वित्त के प्रावधान को छोड़कर अन्य कारणों के लिए अनुबंध की राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से पूरा करने में असफल रहता है एवं ठेकेदार कंपनियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक माईलस्टोन पेमेंट के निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने में भी सक्षम रहता है। तदनुसार सुरक्षा जमा को लेनदेन लागत के प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है तथा बाद में उसे परिशोधित लागत पर मापा भी जाता है।

ख. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसले एवं अनुमान को नीचे दी गई तालिका दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका में निम्नानुसार स्पष्ट है -

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया -आवर्ती उचित मूल्य मापन	31 मार्च 2018			31मार्च 2017		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
निवेश	-	-	-	-	-	-
म्यूचुअल फ़ंड	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-
मद, यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयतायों को परिशोधित लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए उचित मूल्य का उल्लेख दिनांक **31** मार्च**,** 2017 की समाप्ति पर किया गया	31 मार्च 2018			31 मार्च 2017		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय संपत्तियां	-	-	-	-	-	-
निवेश	-	-	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम में इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
म्यूचुअल फ़ंड	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयता	-	-	-	-	-	-
अधिमानी शेयर	-	-	-	-	-	-
उधार	-	-	212675776.42	-	-	188567010.00
व्यापार देनदारियाँ	-	-	-	-	-	-
सुरक्षा जमा तथा अर्जित राशि	-	-	575724.00	-	-	236461.00
अन्य देयताएँ	-	-	3273639.00	-	-	3600312.00

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्याकंन किया गया है। जिसमें म्यूअचल फंड भी शामिल है एवं जिनकी उद्धृत कीमत का मूल्यांकन एनएवी समापन का उपयोग कर किया गया है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। स्तर 3. असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग :

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है जिसमें निम्न उपकरण शामिल हैं।

- बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत का उपयोग।
- शेष वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य, रियायती नगद प्रवाह के विश्लेषणानुसार निर्धारित किया जाता है। उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन।

वर्तमान में कोई भी उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

(vi) वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य, परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

	31 मार्च 2018		31 मार्च 2017	
	उधार राशि	उचित मूल्य	उधार राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपतियां	7501000.00	7501000.00	7501000.00	7501000.00
ऋण	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं	3273639.00	3273639.00	3600312.00	3600312.00
उधार	212675776.42	212675776.42	188567010.00	188567010.00
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	575724.00	575724.00	236461.00	236461.00

उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।

यदि यह महत्त्वपूर्ण न हो तो अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत के उचित मूल्य पर वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

ऋण, सुरक्षा जमा और अधिमानी शेयरों में निवेश करने के लिए उचित मूल्यों की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग कर नगद प्रवाह के आधार पर की गई। उचित मूल्य के पदक्रम में ये स्तर-3 के उचित मूल्यों के रुप में वर्गीकृत है।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन करती है।

2. जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम समूह के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा

एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

समूह बाजार, क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम –विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील पूर्वानुमान	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा समूह के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में मूलधन प्रदान करती है।

क) **क्रेडिट जोखिम** – क्रेडिट जोखिम, नगद एवं नगदी समकक्ष, परिशोधित लागत में किए गए निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के साथ जमा तथा बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न हैं।

ख) **क्रेडिट जोखिम प्रबंधन** - वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध- एनसीडीपी के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए हम अपने ग्राहक या अंतिम ग्राहक के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफएसए में प्रवेश करवाते हैं। हमारे एफएसए को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र, राज्य ऊर्जा उपयोगिता, निजी ऊर्जा उपयोगिता (पीपीयूएस) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) में ग्राहकों के साथ (एफएसएएस)।
- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपिटल पावर प्लांट(सीपीपीएस) में ग्राहकों के साथ एफएसएएस।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसएएस।

ऊपर चर्चित एफएसए प्रारूपों के अलावा डब्ल्यूसीएल ने वर्तमान में कोयला आपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत कोयला की आपूर्ति की है।

ई-नीलामी योजना -

जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणत: एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरुप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो द्रीघावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा एमओसी द्वारा समय-समय पर की जाती है।

क) नगदी जोखिम -

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर समूह की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर समूह द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

वित्तीय व्यस्थाएं-

(i) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी में निम्नलिखित अपर्याप्त उधार सूविधाओं तक पहुंच सकती है

	31.03.2018	31.03.2017
एक साल के भीतर समाप्त (बैंक ओवरड्राफ्ट अन्य सूविधाएं)		
एक साल से अधिक की समाप्ति (बैंक ऋण)		

(ii) **वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता**

नीचे दी गई तालिका कंपनी की वित्तीय देयदाताओं को उनके अनुबंधित परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक समूह में विश्लेषित करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक अनिर्धारित नकदी प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की स्थिति में बारह महीनों के भीतर शेष राशि को उनके बकाया संतुलन के बराबर समझा जाता है।

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता दिनांक- 31.03.2018	3 माह से कम	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 से 5 वर्ष	कुल
उधार						
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां						
अन्य वित्तीय देयदताएं						
कुल						

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता दिनांक- 31.03.2018	3 माह से कम	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 से 5 वर्ष	कुल
उधार						
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां						
अन्य वित्तीय देयदताएं						
कुल						

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता दिनांक- 01.04.2016	3 माह से कम	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 से 5 वर्ष	कुल
उधार						
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां						
अन्य वित्तीय देयदताएं						
कुल						

ख. बाजार जोखिम

क. विदेशी मुद्रा जोखिम :

समूह विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी विनियम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी विनिमय जोखिम नगण्य है। कंपनी आयात करता है एवं जोखिम नियमित रुप से अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित भी करता है। जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होती है, तब कंपनी के पास एक नीति है जिसे वह कार्यान्वित करता है।

ख. **नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम 107 (33) (ए)**

बैंक जमा कंपनी में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम साथ ही कंपनी का नकदी ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है। कंपनी सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) कंपनी के दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण करती है, ।

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक -19)

भविष्य निधि :

नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करती है। वर्ष के दौरान लाभ व हानि विवरण (नोट-28) में निधि किये गए.....करोड़ रूपयों (.....करोड़ रूपये) का योगदान शून्य स्वीकार किया गया है।

4. अपरिचित मद

क) आकस्मिक देयताएं

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया (ब्याज सहित, जहां पर लागू हो)

(₹ में)

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया			
		31.03.2018	31.03.2017
1	**केंद्रीय सरकार** स्वत्व शुल्क(एनएमईटी) केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्वच्छ ऊर्जा उपकर विलंब शुल्क अनुलाभ कर रेलवे पुन:स्थापन कर सेवा कर आय कर अन्य मद (वस्तुओं की प्रकृति)	-	-
2	राज्य सरकार एवं स्थानीय अधिकारी विक्रय कर स्टॉम्प शुल्क स्वत्व शुल्क जल कर प्रविष्टि कर/ओईटी भूमि विवाद सतह का किराया अन्य मद (वस्तुओं की प्रकृति)		

3	**केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम** मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा अन्य मद (वस्तुओं की प्रकृति)		
4	**अन्य** पुनर्वास एवं पुन:स्थापना शुल्क क्षतिपूर्ति कोयला परिवहन मध्यस्थता एवं सिविल मुकदमा कंपनी के खिलाफ अन्य मुकदमा अन्य मद (वस्तुओं की प्रकृति)		
	कुल		

टिप्पणी: सूची स्पष्ट है एवं उसे आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है ।

ख. **प्रतिबद्धता**

निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि पूंजी राशि/ प्रदान किए गए: अन्य : शून्य

ग**. शाख पत्र :**

दिनांक 31.03.18 तक बकाया शाख पत्र शून्य है एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत भी शून्य दर्ज किया गया है। (31.03.2017 के अनुसार- शून्य है)

5. अन्य जानकारी

क. सरकारी सहायता :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एनईसी द्वारा रेत नौभरण एवं सुरक्षा कार्य के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा कोयला मंत्रालय से प्राप्त की गई राशि शून्य है।

ख. प्रावधान

दिनांक 31.03.18 तक कर्मचारी लाभ छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं संचार बीमांकित है, जो कि नीचे दिए गए हैं : (₹ में)

प्रावधान	**1.04.2017** के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरना बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान वापस/ समायोजित करें	डिस्काउंट का अनव्यूंड	**31.03.2018** के अनुसार समाप्त शेष
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : संचित मुल्यह्रास संपत्तियों की हानि	587313.00	262786.00	266182.00	0	590709.32
नोट 4: मुख्य कार्य में प्रगति : सीडब्ल्यूआईपी के रुप में हानि					
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन प्रावधान हानि					

नोट 6:- अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ **प्रावधान:** **हानि**					
नोट 8: ऋण : **संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान :**					
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां : **प्राप्य दावे:** **अन्य प्राप्य :**					
नोट 10:- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां: **संदिग्ध अग्रिम :** **खोजी ड्रिलिंग कार्य** **उपयोगिता हेतु सुरक्षा जमा** **अन्य जमा**					
नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां: **राजस्व हेतु अग्रिम:** **सांविधिक देय राशि के लिए अग्रिम भुगतान** **अन्य जमा :** **कर्मचारियों को अग्रिम:**					
नोट 12: सूची: **कोयला भंडार :** **भंडारों एवं पूर्जों का भंडार** **इब्ल्यूआईपी एवं निर्मित माल**					
नोट 13:व्यापार प्राप्य : **अनुपयुक्त एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान**					
नोट 20: चालू एवं गैर चालू प्रावधान **प्रदर्शन संबंधित देय :** **एनसीडबल्यूए -X:** **खदान बंदी :** **अन्य :**					

ग. रिपोर्टिंग खंड

भारतीय लेखांकन मानक 108 के प्रावधानों के अनुसार 'संचालन खंड' का उपयोग खंड सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है जिसकी पहचान बीओडी द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है ताकि खंडों के संसाधनों को आवंटित किया जा सके एवं उनके प्रदर्शन का उपयोग भी किया जा सके। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थानुसार बीओडी, मुख्य परिचालन निर्णय लेने वालों का समूह है।

निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण उत्पाद के व्यवसाय पर विचार किया है एवं निर्णय लिया है कि यह कोयले की बिक्री करने योग्य एक एकल रिपोर्ट का भाग है। वित्तीय प्रदर्शन एवं शुद्ध संपत्ति की समेकित जानकारी पी/एल एवं तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई है।

गंतव्य द्वारा राजस्व निम्नानुसार है

	भारत	अन्य देश
राजस्व		

ग्राहक द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

ग्राहक का नाम	राशि (करोड़ में)	देश
प्रत्येक पार्टियों का नाम जिनकी शुद्ध बिक्री मूल्य 10% से ज्यादा हो		
अन्य		

स्थान के द्वारा शुद्ध वर्तमान परिसंपत्ति निम्नानुसार

	भारत	अन्य देश
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्ति		

घ. समूह के अंतर्गत संबन्धित पार्टी लेनदेन

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते संबन्धित पार्टी लेनदेन एवं उत्कृष्ट शेष के संबंध में सरकारी नियंत्रण के साथ सामान्य प्रकटीकरण की आवश्यकताओं में छूट देती है।

कंपनी ने अपने धारक कंपनियों, अनुषंगी तथा अनुषंगियों जो सर्वोच्च शुल्क, पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्ययों, आर एंड डी व्ययों, पट्टे का किराया, अधिशेष निधि पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क को शामिल करते हैं तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनके द्वारा किये गए खर्च के साथ लेनदेन में प्रवेश करते हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार महत्वपूर्ण लेनदेन राशि एवं इससे संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है।

कंपनी का नाम	**कंपनी के साथ संबंध**	**वर्ष के दौरान लेनदेन राशि**
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी	

ड़. बीमा और वृद्धि दावा

बीमा और वृद्धि दावा का लेखा-जोखा आवेदन/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

च. लेखा के लिए बनाये गए प्रावधान

धीमी प्रयुक्त/स्थिर/अप्रचलित भंडार गृह, दावा, प्राप्य, अग्रिम, संदिग्ध ऋण के लिए लेखा में प्रावधान पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ताकि संभावित नुकसान को रोका जा सके।

छ. चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

ज. चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

झ. शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं सामंजस्य, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्टि शेष के लिए प्रावधान किये जाते हैं।

खनन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- जीएसआर 632 ई, दिनांक 14.08.2015 के तहत राष्ट्रीय खनन अंवेषित ट्रस्ट निधि को खनन एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधित अधिनियम 2015 (एमएमडीआर अधिनियम) के तहत 9सी में सम्मिलित किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के कार्यान्वयन के अंतर्गत उपभोक्ताओं के स्वत्व शुल्क से अतिरिक्त 2% स्वत्व शुल्क संग्रहित किये गए।

ञ. सीआईएफ के आधार पर आयात मूल्य

(₹ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
कच्चा माल			
पूंजीगत माल			
भंडार,पुर्जा एवं उपकरण			

ट. विदेशी मुद्रा के लिए किए गए खर्च

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
यात्रा व्यय			
प्रशिक्षण व्यय			
परामर्श शुल्क			
ब्याज			
भंडार एवं पुर्जे			
पूंजीगत माल			
अन्य			

ठ. विदेशी विनिमय में अर्जन :

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
यात्रा व्यय			
प्रशिक्षण व्यय			
परामर्श शुल्क			

ड. भंडार एवं पुर्जों का कुल खपत

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
यात्रा व्यय	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
प्रशिक्षण व्यय						
परामर्श शुल्क						

ढ. कोयले का प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, खरीद, टर्नओवर और अंतिम स्टॉक का विवरण

(करोड़ रुपये में एवं मात्रा मिलियन टन में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
	परिमाण	**मूल्य**	**परिमाण**	**मूल्य**	**परिमाण**	**मूल्य**
प्रारंभिक शेयर						
उत्पाद						
बिक्री						
स्व खपत						
बट्टे खाते में डालना						
अंतिम शेयर						

ण. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण :-

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है ।

दिनांक-31.03.2017 के अनुसार ऋण के संबंध में कंपनी द्वारा निगमित प्रत्याभूति प्रदान की गई ।

(रुपये में)

कंपनी का नाम	**31.03.2018** के अनुसार	**31.03.2017** के अनुसार

त. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-

भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी (भारतीय लखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा या अधिसूचित (एमसीए) कंपनी द्वारा गृहित लेखांकन नीति (नोट-38) को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पिछले वर्ष महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में उचित रुप से सुधार व उसे पुन: प्रारुपित किया गया।

द) अन्य : -

i) पिछले अवधि के आंकड़ो को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार दोहराया गया है और आवश्यकतानुसार पुन: एकत्र और पुन: व्यवस्थित भी किया गया है।

ii) पिछले अवधि के आकड़ों को नोट संख्या 1 से 37 के कोष्ठक में दर्शाया गया है।

iii) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नोट 3 से 23 तक उस तिथि के तुलनपत्र के भाग का है तथा नोट-24 से 37 तक उस तिथि में समाप्त वर्ष के लाभ-हानि विवरण का हिस्सा है। नोट 38 महत्वपूर्ण लखांकन नीति, नोट 39 वित्तीय विवरण के अतिरिक्त नोट को व्यक्त करता है ।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(डी.बी.रेड्डी)	**(एन.राजासेखर)**	**(एस.एन.मेहता)**	**(जे.पी. सिंह)**
सहायक प्रबंधक (वित्त)	**महाप्रबंधक(वित्त), एमबीपीएल**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**	**निदेशक**
			डीआईएन -06620453

(एल.एन.मिश्रा)
अध्यक्ष

डीआईएन-07437632

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृत दास एंड दास
सनदी लेखाकार
फ़र्म - पंजीकरण संख्या-322926ई

ह/-
(सीए राजेंद्र कुमार दास)
भागीदार
सदस्य संख्या. 057342

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 02.05.2018

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह का विवरण

(₹ में)

	(अप्रत्यक्ष विधि)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
क	**प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	करपूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें:	**-8555541.30**	**-146660.00**
	समायोजन के लिए :		
	मूल्यहास एवं हानि	0.00	0.00
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	0.00	0.00
	ब्याज/लाभांश(प्राप्त)	0.00	0.00
	ब्याज/वित्तीय प्रभार(प्रदत्त)	0.00	0.00
	लेनदार/वस्तुसूची/अन्य सीए/ऋण एवं अग्रिम इत्यादि हेतु प्रावधान	0.00	0.00
	आस्थगित कर देयता	0.00	0.00
	कार्यशील पूँजी के परिवर्तन से पूर्व संचालन लाभ:	**-8555541.30**	**-146660.00**
	समायोजन के लिए :		
	वस्तुसूची में बदलाव	0.00	0.00
	व्यापार से प्राप्य में बदलाव	0.00	0.00
	लंबी अवधि/गैर चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	0.00	95630.00
	अल्प अवधि/चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	-80594.00	1555378.00
	लंबी अवधि दायिताएं/ चालू दायिताएं / व्यापार से प्राप्य में बदलाव	25106896.36	190768507.60
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	**25026302.36**	**192419515.60**
	आस्थगित कर देयता	0.00	0.00
	असामान्य मदों से पूर्व नगद प्रवाह	0.00	0.00
	असामान्य मदें	**16470761.06**	**192272855.60**
		0.00	0.00
	संचालन गतिविधियों से निवल नगद	**16470761.06**	**192272855.60**
ख	**निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	स्थिर परिसंपत्तियों का क्रय	-24042296.78	-23333578.26
	प्रारंभिक व्यय के लिए समायोजन	0.00	0.00
	सीआईएल के साथ लघु अवधि जमा	0.00	0.00
	विविध प्राप्तियां	0.00	0.00
	कंपनियों का अधिग्रहण	0.00	0.00
	नए निवेश की खरीद	0.00	0.00
	प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
	लाभांश प्राप्त	0.00	0.00
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नगद	**-24042296.78**	**-23333578.26**
ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह:**		
	एमसीएल से सीआईएल / ऋण के माध्यम से विश्व बैंक के ऋण	0.00	-160967798.00
	डिफर्ड क्रेडिट लोन	0.00	0.00
	विनिमय दर में उतार-चढ़ाव	0.00	0.00
	सीआईएल ऋण का पुनर्भुगतान	0.00	0.00
	वरीयता शेयर पूंजी का विमोचन	0.00	0.00
	ब्याज और वित्तीय शुल्क	0.00	0.00
	शेयर पूंजी मुद्दा	0.00	0.00
	लाभांश देय	0.00	0.00
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**0.00**	**-160967798.00**
	नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि	**-7571535.72**	**7971479.34**
	वर्ष के प्रारम्भ में नगद एवं नगद समतुल्य	8492434.34	520955.00
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**920898.62**	**8492434.34**

उपरोक्त कथन अप्रत्यक्ष विधि पर तैयार किया गया है
पिछले वर्ष के आंकड़े को पुनः वर्गीकृत किया गया है
चालू वर्ष वर्गीकरण की पुष्टि

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(डी.बी. रेड्डी)	**(एन. राजशेखर)**	**(एस.एन.मेहता)**	**(जे.पी. सिंह)**
सहायक प्रबंधक(वित्त)	**महाप्रबंधक(वित्त) एमबीपीएल**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**	**निदेशक**
			डीआईएन -06620453

ह/-
(एल.एन. मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन-07437632

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृत दास एंड दास
सनदी लेखाकार
फ़र्म - पंजीकरण संख्या-322926ई

ह/-
(सीए राजेंद्र कुमार दास)
भागीदार
सदस्य संख्या. 057342

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 27.04.2018

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
(एमसीएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
प्लोट एन.जी-3, मंचेश्वर रेलबे कालोनी, भुवनेश्वर-751017 (ओडिशा)

Printed at Five Star Printing Press, Burla